

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 13, बुधवार, शाके 1933-अक्टूबर 5, 2011 Asvina 13, Wednesday, Saka 1933-October 5, 2011

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 5, 2011

संख्या प. 13(1)प्र.स्. / सम. / अनु-1 / 2008:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतदृद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित सेवाओं, जिन पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे व उन सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित करती है, अर्थात:-

					सारणी				
क. सं.	विभाग		धेयक की धारा 3 की रिधि में ली गई सेवा	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी *	सहायक पदाभिहित अधिकारी **	प्रथम अपीलीय अधिकारी ***	द्वितीय अपील प्राधिकारी ****	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
		क्र. सं.	सेवा का विवरण		-				
1	2	3	4	5	6	7	. 8	9	- 10
1.	राजस्व एवं उप- निवेशन	1.	लैण्ड रिकार्ड की प्रतियां उपलब्ध करवाना	k!		134	·	8	
	विभाग		(1) जमाबन्दी चौसाला 1. पटवारी स्तर पर	तीन दिन	पटवारी		नायब तहसीलदार / तहसीलदार	एसडीओं/ सहायक आयुक्त	=======================================
			2. तहसील स्तर पर	तीन दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार / ऑफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	उपनिवेशन जिला कलक्टर / आयुक्त उपनिवेशन	_
			(2) खसरा चौसाला 1. पटवारी स्तर पर	तीन दिन	पटवारी		नायब तहसीलदार / तहसीलदार ।	एसडीओ / सहायक आयुक्त उपनिवेशन	
			2. तहसील स्तर पर	तीन दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदारः/ ऑफिस कानूनगो	उपखण्ड ी अधिकारी	जिला कलक्टर / आयुक्त उपनिवेशन	
			(3) <u>नक्शा ट्रेस</u> 1. पटवारी स्तर पर	तीन दिन	पटवारी		नायब तहसीलदार/ तहसीलदार	एसडीओ / सहायक आयुक्त उपनिवेशन	
			2. तहसील स्तर पर	तीन दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार/	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर /	1-1

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		TO THE PARTY OF			आफिस कानूनगो		आयुक्त उपनिवेशन	
		(4) खसरा परिवर्तनशील 1. पटवारी स्तर पर	तीन दिन	पटवारी	Marine Marine Marine Marine	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	एसडीओ / सहायक आयुक्त उपनिवेशन	
		2. तहसील स्तर पर	तीन दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार / आफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर / आयुक्त उपनिवेशन	-
3 7, 14,	Ji D	(5) <u>नामान्तरकरण</u> 1. पटवारी स्तर पर	तीन दिन	पटवारी	73 m W	तहसीलदार	एसडीओ / सहायक आयुक्त	7
	Les Ing	2. तहसील स्तर पर	तीन दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार / आफिस	उपखण्ड अधिकारी	उपनिवेशन जिला कलक्टर / आयुक्त	-
		(6) ढाल-बांछ / जमाबंदी परिवर्तनशील	तीन दिन	पटवारी	कानूनगो	तहसीलदार	उपनिवेशन एसडीओ /	
	100	1. पटवारी स्तर पर 2. तहसील स्तर	तीन दिन	तहसीलदार			सहायक आयुक्त उपनिवेशन	
		पर	तान ।दन	तहसालदार	नायब तहसीलदार / आफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर / आयुक्त उपनिवेशन	-
		(7) दैनिक डायरी 1. पटवारी स्तर पर	तीन दिन	पटवारी		तहसीलदार	एसडीओ / सहायक आयुक्त उपनिवेशन	
		(8) अर्ज ईरसाल (रसीद) 1. पटवारी स्तर पर	तीन दिन	पटवारी		तहसीलदार	एसडीओ / सहायक आयुक्त	
,	Bu	2. तहसील स्तर पर	तीन दिन	तहसीलदार	नायब तहसीलदार / आफिस कानूनगो	उपखण्ड अधिकारी	उपनिवेशन जिला कलक्टर / आयुक्त उपनिवेशन	
	7	(9) राजस्व न्यायालयों के निर्णय/आदेशों की नकल •	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 3 दिन	पीठासीन अधिकारी		पीठासीन अधिकारी का प्रथम अपीलीय अधिकारी	पीठासीन अधिकारी का द्वितीय अपीलीय अधिकारी	-
		(10)जिला कलक्टर कार्यालय स्तर पर जारी होने वाली लैण्ड रेकार्ड की नकलें	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 3 दिन के अन्दर	प्रभारी, भू—अभिलेख शाखा	सदर कानूनगो / भू.अ.निरीक्षक, रेकार्ड	अति. जिला कलक्टर	जिला कलक्टर	e e
		(11) भू—प्रबन्ध रेकार्ड की प्रतिया:— (11.1) खसरा	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/	भू–प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर	आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग,	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		The state of the s	दिन के	The second	रिकार्ड कीपर	पर)/अति.	राजस्थान	1.0
		THE PARTY OF THE P	अन्दर			भू—प्रबन्ध	SALERIA SALA	
					4-14	आयुक्त		9
		100			129951	(मुख्यालय	hr.	-1112
		unicalia	1			रतर पर)	7. ***	
		(11.2) खतौनी	अर्जेन्ट 24	सहायक	TUTANT		OTENTO-	
		बन्दोबस्त	घण्टे में		सदर	भू-प्रबन्ध	आयुक्त,	-
		अ:साम्सा :	V	. भू—प्रबन्ध	मुन्सरिम /	अधिकारी	भू—प्रबन्ध	
			सामान्य 7	अधिकारी	रिकार्ड कीपर	(जिला स्तर	विभाग,	
			दिन के			पर) / अति.	राजस्थान	
		1 40	अन्दर			भू-प्रबन्ध		
						आयुक्त		
		1000				(मुख्यालय		
		(V + 5) ==================================	У			स्तर पर)		
		(11.3) नक्शा चाहत	अर्जेन्ट 24	सहायक	सदर	भू–प्रबन्ध	आयुक्त,	1-
		नया सर्वे	घण्टे में,	भू—प्रबन्ध	मुन्सरिम/	अधिकारी	भू-प्रबन्ध	
		10-10	सामान्य ७	अधिकारी	रिकार्ड कीपर	(जिला स्तर	विभाग,	
		CRIRC	दिन के		1 9 3	पर)/अति.	राजस्थान	
			अन्दर	1000	I have to like	भू—प्रबन्ध		
		10.0			1 1 10	आयुक्त		
0					L L H	(मुख्यालय		
				. A.		स्तर पर)		
		(11.4) नक्शा चाहत	अर्जेन्ट 24	सहायक	सदर	भू—प्रबन्ध	आयुक्त,	_
		वक्त सफाई	घण्टे में	भू—प्रबन्ध	मुन्सरिम/	अधिकारी	भू—प्रबन्ध	
			सामान्य 7	अधिकारी	रिकार्ड कीपर	(जिला स्तर	विभाग,	
		-	दिन के	SALES SERVICE	SAUS SEELS	पर)/अति.	राजस्थान	P ==
			अन्दर	71	a laima	भू—प्रबन्ध	TOTOTAL	
			21.53		4 66	भू अयुक्त आयुक्त	:	
	1							
		nine.				(मुख्यालय स्तर पर)		
	1	(11.5) नक्शा	अर्जेन्ट २४	genre	TENTE		OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	
				सहायक	सदर	भू—प्रबन्ध	आयुक्त,	-
		तालाब नाडा	घण्टे में,	भू—प्रबन्ध	मुन्सरिम /	अधिकारी	भू—प्रबन्ध	
			सामान्य 7	अधिकारी	रिकार्ड कीपर	(जिला स्तर	विभाग,	
	-		दिन के			पर) / अति.	राजस्थान	
			अन्दर		8.5	भू—प्रबन्ध		
			3			आयुक्त		
					P ₁ -mb	(मुख्यालय		
	T	(4	Y			स्तर पर्)		
		(11.6) सूची लगान	अर्जेन्ट 24	सहायक	सदर	भू—प्रबन्ध	आयुक्त,	=
		(डिमाण्ड	घण्टे में,	भू—प्रबन्ध	मुन्सरिम/	अधिकारी	भू—प्रबन्ध	
		स्लिप)	सामान्य 7	अधिकारी	रिकार्ड कीपर	(जिला स्तर	विभाग,	
		171100	दिन के		7.0	पर) / अति.	राजस्थान	
		The Desire	अन्दर		The second	भू—प्रबन्ध		
			12		1 13	आयुक्त		
		. 154				(मुख्यालय		
						स्तर पर)		
		(11.7) पर्चा खतौनी	अर्जेन्ट २४	सहायक	सदर	भू—प्रबन्ध	आयुक्त,	-
		तस्दीक	घण्टे में,	भू—प्रबन्ध	मुन्सरिम/	अधिकारी	भू–प्रबन्ध	
		The Printer of	सामान्य ७	अधिकारी	रिकार्ड कीपर	(जिला स्तर	विभाग,	*
		Render	दिन के		ii ii iji Suu	पर)/अति.	राजस्थान	
		F 1 100 1955	अन्दर	W-1	-30	भू—प्रबन्ध	CACSASS M. II	
		and the same of the	The second second		8.70	आयुक्त		
		THE U.S.			1 1	(मुख्यालय		
		10.50				स्तर पर)		
		(11.8) पर्चा लगान	अर्जेन्ट २४	सहायक	सदर		31131242	-
		Arrest deal Arried	घण्टे में,		मुन्सरिम/	भू-प्रबन्ध	आयुक्त,	
		NOTE TOWN		भू—प्रबन्ध अधिकारी		अधिकारी	भू प्रबन्ध	(9)
		100	सामान्य 7	आवकारा	रिकार्ड कीपर	(जिला स्तर	विभाग,	
			दिन के			पर) / अति.	राजस्थान	
			अन्दर			भू—प्रबन्ध		
		A				् आयुक्त ,		
	-				Familia -	(मुख्यालय		
						स्तर पर)		

2	3 4	5	6	7	8	9	10
	(11.9) सूची फलदार वृ	अर्जेन्ट 24 झ घण्टे में, सामान्य 7 दिन के	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/ रिकार्ड कीपर	भू—प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अति:	आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान	-
	V pro-	अन्दर		n 3-5	भू—प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)		
	(11.10) सूची सी चिन्ह	मा अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/ रिकार्ड कीपर	भू—प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर	आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग,	-
		दिन के			पर) / अति. भू - प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	राजस्थान	
	(11.11) खसरा परिशोधन	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/ रिकार्ड कीपर		आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान	
					आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)		
	(11.12) दस्तूर गंबाई	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/ रिकार्ड कीपर	भू-प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त	आयुक्त. भू प्रवन्ध विभाग, राजस्थान	-
		The state of the s			(मुख्यालय स्तर पर)	-	
	(11.13) ग्राम विवरण पत्र	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के	सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/ रिकार्ड कीपर	भू-प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अति.	आयुक्त, भू-प्रवन्ध विभाग, राजस्थान	
		अन्दर			भू—प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	pre-	
	(11.14) फर्द मिल क्षेत्रफल	घण्टे में, सामान्य ७	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/ रिकार्ड कीपर	भू-प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त	आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग, राजस्थान	
	(11.15) ग्राम की	अर्जेन्ट २४	सहायक	(# 1,00)	(मुख्यालय स्तर पर)	Al birth willing	
	दर (भूमि वर्गानुसार)	घण्टे में, सामान्य ७ दिन के अन्दर	भू—प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम / रिकार्ड कीपर	भू—प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अति. भू—प्रबन्ध आयुक्त	आयुक्त, मू–प्रबन्ध विमाग, राजस्थान	
h.			59) (1915)	L. H.	(मुख्यालय स्तर पर)		4
	(11.16) नक्शा शीव	ट अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/ रिकार्ड कीपर	भू-प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर)/अति. भू-प्रबन्ध	आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान	=;

2	3	4	5	- 6	7	. 8	9	10
					a Prisieni	आयुक्त (मुख्यालय स्तर पर)	e l'ik	
		(11.17) नक्शे की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि	अर्जेन्ट 24 घण्टे में, सामान्य 7 दिन के अन्दर	सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी	सदर मुन्सरिम/ रिकार्ड कीपर	भू प्रबन्ध अधिकारी (जिला स्तर पर) / अति. भू – प्रबन्ध आयुक्त (मुख्यालय	आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग, राजस्थान	
	2.	समयबद्ध कृषि भूमि नामान्तरकरण	from			स्तर पर)		
*		(1) पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में नामान्तरकरण का निर्णय	47 दिवस	सरपंच	पटवारी / आईएलआर / ग्राम सेवक	उपखण्ड अधिकारी	अति. जिला कलक्टर (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	पटवारी द्वारा नामान्तर- करण दर्ज करने की अवधि 7
		(2) तहसीलदार / नायब तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार में निर्णय	47 दिवस	तहसीलदार / नायब तहसीलदार	पटवारी / आईएलआर	एसडीओ / सहायक आयुक्त उपनिवेशन	अति. जिला कलक्टर (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)/	दिवस, भू अभिलेख निरीक्षक जांच अव 10 दिवर तथा
		The Table	1000	Mind			अति. आयुक्त उपनिवेशन	पंचायत / तहसीलद द्वारा नामान्तर
		man punts	Months and the second s				(Cam,)	करण. क निर्णय क की अवर्षि 30 दिवर होगी।
	3.	गैर खातेदारी से खातेदारी सेवाएं	1957				R ITH AT	61,111
		(1) गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार	15 दिवस .	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	आफिस कानूनगो / आईएलआर / पटवारी	उपखण्ड अधिकारी	जिला कल व टर	_
		(2) उपनिवेशन क्षेत्र में खातेदारी सनद	15 दिवस	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	आफिस कानूनगो / आईएलआर / पटवारी	उपायुक्त उपनिवेशन	आयुक्त उपनिवेशन	.=-
	•	(3) सह खातेदारों की सहमति से जोत विभाजन	22 दिवस	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	आफिस कानूनगो / आईएलआर / पटवारी	उपखण्ड अधिकारी / सहा. आयुक्त उपनिवेशन	जिला कलक्टर / अति. आयुक्त कम आरएए उपनिवेशन	=
	4.	कनवरशन सेवाएं (1) भूमि रूपान्तरण 1. तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में 2. उपखण्ड अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में	30 दिवस 30 दिवस	तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी	ऑफिस कानूनगो संबंधित लिपिक	एसडीओ / सहायक आयुक्त उपनिवेशन जिला कलक्टर	जिला कलक्टर / उपायुक्त उपनिवेशन संभागीय आयुक्त	
		3. जिला कलक्टर के अधिकार क्षेत्र में	30 दिवस	जिला कलक्टर	अति. जि <mark>ला</mark> कलक्टर	संभागीय आयुक्त	प्रमुख शासन सचिव राजस्व /	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			p moj in					शासन सचिव राजस्व	
		5.	जाति प्रमाण पत्र	पांच दिवस	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	आईएलआर / पटवारी / संबंधित लिपिक	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर	<i>i</i> —
		6.	मूल निवास प्रमाण पत्र	पांच दिवस	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	आईएलआर / पटवारी / संबंधित लिपिक	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर	
		7.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र	पांच दिवस	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	आईएलंआर/ पटवारी/ संबंधित लिपिक	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर	
		8.	हैसियत प्रमाण पत्र	पांच दिवस	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	आईएलआर / पटवारी / संबंधित लिपिक	उपखण्ड अधिकारी	जिला कलक्टर	=
2.	जन स्वास्थ्य अभिँयांत्रिकी विभाग	9.	हैण्डपम्प ठीक करवाना।	3 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	
		10.	नये जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना	पानी उपलब्ध होने की स्थिति में 7 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	5 11
	THE ON	11.	जल कनेक्शनों में जल सप्लाई खराबी को ठीक करावाना	3 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	-
		12.	पानीं के बिल को ठीक करवाना (Correction of Bills)	3 दिवस	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	
		13.	पानी के मीटर बदलवाना कार्याक्रम	7 दिवस जन्मा	संबंधित सहायक अभियंता	उपखण्ड मुख्यालय पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता	अधिशाषी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	
		14.	(अ) प्रतिभूति निक्षेप/ सिक्योरिटी डिपोजिट लौटाने के प्रकरण।	3 माह	संबंधित अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभि. का तकनीकी सहायक	अधीक्षण अभियन्ता	अति. मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता	
			(ब) धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी,) लौटाने के प्रकरण	10 दिवस	संबंधित अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभि. का तंकनीकी सहायक	अधीक्षण अभियन्ता	अति. मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता	
		15.	कार्य पूर्ण होने पर अन्तिम भुगतान (फाईनल बिल, टाईम एक्सटेंशन एवं डेवियेशन)	संवेदक द्वारा अन्तिम बिल प्रस्तुत करने के 3 माह के अन्दर	अधिशाषी	अधिशाषी अभि. का तकनीकी सहायक	अधीक्षण अभियन्ता	अति. मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता	
3	जल संसाधन विमाग	16.	पेन्शन संबंधी प्रकरण	सेवा पुस्तिका पूर्ण एवं पेन्शन कुलक प्रस्तुत करने के एक माह में	वितरण अधिकारी	वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाकर्मी	वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी के नियन्त्रण अधिकारी	वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी के नियन्त्रण अधिकारी के नियंत्रण अधिकारी	

	2	3		4	5	. 6	7	8	9	10
			VIJIK SP	THE PARTY OF THE P	ффил	efilant	(वरिष्ठ लेखाधिकारी तक)	0	अथवा प्रशासनिक विभाग के सचिव (जो भी लागू हो)	10
		111001	अरनेस्ट		निर्णय होने के बाद असफल निविदाताओं को 15 दिवस में	संबंधित अधि. अभियंता	तकनीकी सहायक या जिनको अधिशाषी अभियंता का कार्यभार सौंपा गया है	-		-
		18.		र्ण होने पर बिल का	संवेदक द्वारा अन्तिम बिल प्रस्तुत करने के 3 माह के अन्दर	संबंधित अधि. अभियंता	तकनीकी सहायक या जिनको अधिशाषी अभियंता का कार्यभार सौंपा गया है	अधीक्षण अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता / मुख्य अभियंता	
			ETTE	in Vielle Ison Imagilia Imagilia Imagilia	निविदा की कार्य समाप्ति एवं विशेष शर्त समाप्ति के तीन माह बाद	संबंधित अधि. अभियंता	तकनीकी सहायक या जिनको अधिशाषी अभियंता का कार्यभार सौंपा गया है	अधीक्षण अभियंता क्रांस्ट्रिक्ट	अतिरिक्त मुख्य अभियंता / मुख्य अभियंता	*
4.	ार्वजनिक निर्माण विभाग (सिविल/ विद्युत/ यांत्रिक/	118	मामलों राशि व	निविदाओं के में धरोहर ज प्रतिदाय) -	का प्रतिदाय सक्षम	(1) अधिशाषी अभियन्ता (2) अधीक्षण अभियन्ता	खण्डीय लेखाकार है सहायक लेखाधिकारी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त	शासन सचिव, सा.नि.वि. शासन सचिव, सा.नि.वि.	
	उद्यान ईकाई)	1 1 1 1	enie en en enio en enio		अधिकारी द्वारा निविदा के स्वीकार करने के 15 दिवस में किया जावेगा	(3) अति. मुख्य अभियन्ताः (4) अधीक्षक उद्यान/ वरि. अधीक्षक	वरि. लेखाधिकारी वरिष्ठतम लेखाकर्मी	सचिव मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव • अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	शासन सचिव, सा.नि.वि. मुख्य अभियन्ता एवं	4
			with the second	अतिहरूत मुख्या अमित्याच्या	TOSPITA Brancosi TOSPITA	उद्यान (5) उद्यानविज्ञ •	वरिष्ठतम लेखाकर्मी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	अतिरिक्त सचिव मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव	
		21.	मामले निक्षेप	निविदाओं के में प्रतिभूति (एस.डी.)	यदि खरीद एक बार में की जाती है	(1) अधिशाषी अभियन्ता	लेखाकार	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	शासन सचिव, सा.नि.विं.	=
		17	DO SEL	ज प्रतिदाय इस्ट	तो क्रय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय	(2) अधीक्षण अभियन्ता	सहायक लेखाधिकारी	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव	शासन सचिव, सा.नि.वि.	
			TOTAL	mstelle per mande	(सप्लाई) पूर्ण होने से एक माह के भीतर एवं प्रदाय	(3) अधीक्षक उद्यान/ वरि. अधीक्षक उद्यान	्यरिष्ठतम लेखाकर्मी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
			सान्तर	(4) उद्यानविज्ञ	वरिष्ठतम	अतिरिक्त	मुख्य '	
	mit		(Staggered)		लेखाकर्मी	मुख्य	अभियन्ता .	ŭ.
	100		करने के			अभियन्ता	एवं	*
			मामले में दो				अतिरिक्त	
		200	माह के				सचिव	
			भीतर किया	Nic The	L F B P			
			जावेगा	to meading			- 1	
			तथापि, जहां				X 5 1	
	1		गारण्टी/					
			वारण्टी की			38.4		
			शर्त लगी हो				1	
			वहां प्रतिभूति					
	150	A THE	निक्षेप का				10	
	1 1	119 m par	प्रतिदाय उस					
	1.0	T BR	गारण्टी/					
		HP.	वारण्टी					
	e	ig.	अवधि के				l s	
	1 3		समाप्त होने	7	100			
			के बाद एक					
		51/5	माह में किया	1 10 20				
		3115		The state of the s	, S			
			जावेगा	(1)				
	22.	परिवहन अनुबन्ध से	आन्तम बिल	(1) अधिशाषी	खण्डीय	अतिरिक्त	शासन	=
*		संबंधित मामलों में	के भुगतान	अभियन्ता	लेखाकार	मुख्य	सचिव,	
		पी.जी. / प्रतिभूति	के साथ			अभियन्तं।	सा.नि.वि.	
		निक्षेप का प्रतिदाय	क्रिया	(2) अधीक्षक /	वरिष्ठतम	अतिरिक्त	मुख्य	
			जावेगा	वरि. अधीक्षक	लेखाकर्मी	मुख्य	अभियन्ता	
		1 70		उद्यान	18 1 304 177 141	अभियन्ता	एवं	erthur
			Tom:	Jan		जानवन्सा	अतिरिक्त	refer i
	4			(1) 10	0	00	सचिव ′	e solle F
	4		- 113	(3) उद्यानविज्ञ	वरिष्ठतम	अतिरिक्त	मुख्य	
		in state of the st	1 1 10	a livering	लेखाकर्मी	मुख्य	अभिय-ता।	
		18.3/6/4		0.8 4		अभियन्ता	एवं	
		1.5					्रएवं अतिस्क्ति	, .
		TOTAL TOTAL	1			1	सचिव	(Similar
	23.	साधारण भरमात	अन्तिम बिल	(1) अधिशाषी	खण्डीय	अतिरिक्त	शासन	
	1	कार्यों की प्रतिभूति	के भुगतान	अभियन्ता	लेखाकार	मुख्य	सचिव,	
		निक्षेप राशि का	के पश्चात		Activities	अभियन्ता	सा.नि.वि.	
		प्रतिदाय	तीन माद में	(2) अधीक्षक /	-0	अतिरिक्त		
		JIII GIA	(4000)	वरि. अधीक्षक	वरिष्ठतम	- ACMADONIONI	मुख्य	
	1		15-1/02		लेखाकर्मी	मुख्य	अभियन्ता	
				उद्यान		अभियन्ता	एवं	
	873			1100			अतिरिक्त	
							सचिव	
		THE PARTY NAMED IN	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	(3) उद्यानविज्ञ	वरिष्ठतम	अतिरिक्त	मुख्य	
	16	20 / III	Political I		लेखाकर्मी	मुख्य	अभियन्ता	
ě		in The last				अभियन्ता	एवं	
	17	WISH C					अतिरिक्त	
		12 (4)				3	सचिव	
	24	नवीन कार्यों / विशेष	डिफेक्ट	(1) अधिशाषी	खण्डीय	THEFT		
	24.					मुख्य	शासन	7
		मरम्मत कार्यों	लाइबलिटी	अभियन्ता	लेखाकार	अमियन्ता एवं	सचिव,	
		(लागत रु.10 लाख	पीरियड की	11-5-13		अतिरिक्त	सा.नि.वि.	
	1	व कम) के मामलों	समाप्ति से			सचिव	0.0	
	1	में प्रतिभूति निक्षेप	तीन माह में	(२)अधीक्षक /	वरिष्ठतम	अतिरिक्त	मुख्य	
		(एस.डी.) का	Who shall	वरि. अधीक्षक	लेखाकर्मी	मुख्य	अभियन्ता	
		प्रतिदाय		उद्यान		अभियन्ता	एवं	
		• 6.11	1 151				अतिरिक्त	
			HARRIS ES				सचिव	
			145525	(1)	-0	-00		
			the same	(3) उद्यानविज्ञ	वरिष्ठतम	अतिरिक्त	मुख्य	
					and the second s	2275000	articles are	
		Hateku.			लेखाकर्मी	मुख्य	अभियन्ता एवं	
		TITY HEREIN		0.000	लखाकमा	अभियन्ता अभियन्ता	आसयन्ता एव अतिरिक्त : सचिव	

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25.	100000 000	डिफोक्ट	(1) अधिशाषी		अतिरिक्त	शासन	-
		विशेष मरम्मत कार्यो	लाइबंलिटी	अभियन्ता	लेखाकार	मुख्य	सविव,	
· ·		(लागत रु.10 लाख	पीरियड में-			अभियन्ता	सा.नि.वि.	
	T	से अधिक) के	कार्य पूर्ण					
		मामलों में प्रतिभूति	होने की	1500.0				
	. 9		तिथि के					
	i i	निक्षेप (एस.डी.) का		(२) अधीक्षण	सहायक	मुख्य	शासन	
		प्रतिदाय	एक वर्ष	अभियन्ता	लेखाधिकारी	अभियन्ता एवं	सचिव,	
			उपरान्त			अतिरिक्त	सा.नि.वि.	
			प्रतिभृति			सचिव	3344 3303	
100		0	निक्षेप राशि	ris Welling	The State	311.51.51		
			का 10	1111 27	(i			
		*	प्रतिशत	12				
			प्रतिदाय एवं					
	1							
			इसके					
	1		उपरान्त					
	ł		प्रतिभृति	- 6	X	1.2		a y
1 1	N		निक्षेप राशि	46.14				
		Time Time	का 10		- F			
		i like	प्रतिशत	A				
	7	iki k	प्रतिवर्ष की					
			समाप्ति पर	1	Υ.		*	31
1 1	131		प्रतिदाय					
		CONTRACT NEWS	किया	er (tot)	10:11			
	١.		जावेगा	MILITA	h ,			
	1		प्रतिभृति					
		2. 1	निक्षेप की	i i				
			शेष राशि					
	1		का प्रतिदाय				W 100	
			डिफेक्ट				10.17	
		*	लाइबलिटी					
		Link College	पीरियड की					-
			समाप्ति से					
			तीन माह में					
मामाजिक	26	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय	'90 दिवस	TITLEME	710	0		
	20.		90 दिवस	उपखण्ड	तहसीलदार/	जिला	सामाजिक	
न्याय एवं		वृद्धावस्था पेंशन		अधिकारी	नायब	कलेक्टर	न्याय एवं	_
अधिकारिता		योजना :	I meh	1111	तहसीलदार		अधिकारिता	
विभाग		(1) शहरी क्षेत्र	- ALFRI		कोषाधिकारी /		विभाग	
			1150	3.00	उप	6	12.21.00	
		4_110_	l with	11.8	कोषाधिकारी			
		3.	-Incik		9/19/19/9/(1			
		(a) magnet (a)				(m)		
		(2) ग्रामीण क्षेत्र	90 दिवस	विकास	तहसीलदार/	जिला	सामाजिक	0
				अधिकारी	नायब	कलेक्टर	न्याय एवं	-
1					तहसीलदार	a satisfación	अधिकारिता	
		niper TEAL			कोषाधिकारी /	1 1	विभाग	
		e de la company			34		0.09534031	
					कोषाधिकारी			
		HELFT . "	A P		कावाानकारा			
	151.00	0		1				
	27.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय	The state of		+ 1			
		विधवा पेंशन योजनाः	Lig-Di					
		(1) शहरी क्षेत्र	90 दिवस	उपखण्ड	तहसीलदार/	जिला	सामाजिक	
		A. J. Townson, The St.	WW 12421	अधिकारी				_
				आवकास	नायब	कलेक्टर	न्याय एवं	
		- Inc		100	तहसीलदार		अधिकारिता	
		- 1		11.0	कोषाधिकारी /		विभाग	
					उप			
				100	कोषाधिकारी			
	-	(2) ग्रामीण क्षेत्र	00 A		तहसीलदार/		0	574
		(८) प्रानाण दात्र	90 दिवस	विकास	Occupacy of the block of the state of the st	जिला	सामाजिक	
				अधिकारी	नायब	कलेक्टर	न्याय एवं	
	1		1		तहसीलदार		अधिकारिता	
							आवकारिया	
- All Advantage			1.40		कोषाधिकारी / उप		विभाग	
Addition of the state of the st					कोषाधिकारी /			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		28.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन						
			योजनाः						
			(1) शहरी क्षेत्र					200	
			(1) राष्ट्ररा दाञ	90 दिवस	उपखण्ड	तहसीलदार/	जिला	सामाजिक	===
					अधिकारी	नायब	कलेक्टर	न्याय एवं	
						तहसीलदार		अधिकारिता	
						कोषाधिकारी /		विभाग	
			(2) ग्रामीण क्षेत्र			उप			
			(८) ग्रामाण दात्र		0	कोषाधिकारी	6		-
				90 दिवस	विकास अधिकारी	तहसीलदार / नायब	जिला	सामाजिक	
					आधकारा	तहसीलदार	कलेक्टर	न्याय एवं	
						कोषाधिकारी /		अधिकारिता विभाग	
						34		19नाग	
						कोषाधिकारी			
		29.	राज्य वृद्धावस्था			37 11-1-1-1			
			पेंशन योजना	90 दिवस	उपखण्ड	तहसीलदार /	जिला	सामाजिक	
			(1) शहरी क्षेत्र	2 1973	अधिकारी	नायब	कलेक्टर	न्याय एवं	5
			Parada Paradaya Assayas		sentiation (A) All	तहसीलदार	AND MAKE	अधिकारिता	
						कोषाधिकारी /		विभाग	
						उप		1	17
						कोषाधिकारी			4 94
			(2) ग्रामीण क्षेत्र	90 दिवस	विकास	तहसीलदार/	जिला	सामाजिक	. 1
			4 I		अधिकारी	नायब	कलेक्टर	न्याय एवं	
		-			14	तहसीलदार		अधिकारिता	
						कोषाधिकारी /		विभाग	
E					2 2	उप			
			- 2 2			कोषाधिकारी			
		30.	राज्य विधवा पेंशन						
			योजनाः	05 🖯		0	~	201	
			(1) शहरी क्षेत्र	90 दिवस	उपखण्ड	तहसीलदार/	जिला	सामाजिक	-
					अधिकारी	नायब	कलेक्टर	न्याय एवं	
						तहसीलदार		अधिकारिता	
						कोषाधिकारी / उप		विभाग	
						कोषाधिकारी			
			(2) ग्रामीण क्षेत्र	90 दिवस	विकास	तहसीलदार/	P	सामाजिक	
			A STATE STA	उठ ।५५५	अधिकारी	नायब	जिला कलेक्टर	न्याय एवं	=
				2 1.0	आलवगरा	तहसीलदार	43019CA	न्याय एव अधिकारिता	
						कोषाधिकारी /		विभाग	
			allow a med			उप कोषाधिकारी		71 10	
		31.	राज्य निःशक्त पेंशन	11/1		LIE -	111111111111		
			योजना :						
			(1) शहरी क्षेत्र	90 दिवस	उपखण्ड	तहसीलदार/	जिला	सामाजिक	-
			6		अधिकारी	नायब	कलेक्टर	न्याय एवं	
					70	तहसीलदार	141	अधिकारिता	
					5	कोषाधिकारी/		विभाग	
						उप			
			(6) 777-9-1		0	कोषाधिकारी	MG.		
			(2) ग्रामीण क्षेत्र	90 दिवस	विकास	तहसीलदार/	जिला	सामाजिक	_
				71	अधिकारी	नायब	कलेक्टर	न्याय एवं	
				71,1	61	तहसीलदार		अधिकारिता	
				, M. H.		कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी		विभाग	
चि	कित्सा	32.	जननी शिशु सुरक्षा	डिस्सचार्ज	प्रभारी	जप काषाधिकारा नर्सिंग प्रभारी		A)	-
	एवं		योजना (JSSY)	के समय	चिकित्सा चिकित्सा	ואויא ניהור	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य		340
	।स्थ्य		अन्तर्गत दिए जाने	an Mata	संस्थान	5.	अधिकारी /	(प.क.)	
	वाएं		भुगतान राशि	120	3/3-4/1		प्रमुख चिकित्सा		
			1000 / -(शहरी)	7.7	TR 14		अधिकारी		
		- 1	Talk M		THE PART OF THE PA				

	2	3	4	, 5	6	7	8	9	10
		33.	विकलांगता प्रमाण– पत्र Visible Disability	उसी दिवस् को	संस्था का प्रभारी अधिकारी	स्टोर प्रभारी	मुख्यं चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी	अति. निदेशक (अस्पताल प्रशा.)	
		34.	विकलांगता प्रमाण–पत्र Complicated Disability बोर्ड के द्वारा	3 सप्ताह	प्रभारी बोर्ड	स्टोर प्रमारी	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	अति. निदेशक (अस्पताल प्रशा.)	
		35.		60 दिन	जिले का डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	एफएसओ	न्यायनिर्णायक अधिकारी (Adjudi- cating officer)	आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)	
		36.	निर्माण खाद्य अनुज्ञा—पत्र	60 दिन	जिले का डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी	एफएसओ	न्यायनिर्णायक अधिकारी (Adjudi- cating officer)	आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)	
			अनुज्ञा पत्र औषधि	20 दिन	जिले का सहायक औषधि नियंत्रक	सम्बन्धित लिपिक	औषधि नियंत्रक	विशिष्ट शासन सचिव चिकि. स्वा.विभाग	=
		38.	अनुझा पत्र औषधि निर्माण	3 माह	औषधि नियंत्रक	सम्बन्धित लिपिक	विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग		
		39.	नसबन्दी करवाने पर क्षतिपूर्ति राशि का गुगतान महिला नसंबदी 600/- पुरुष नसंबदी 1100/-	के समय	प्रभारी चिकित्सा संस्थान	नर्सिंग प्रभारी	मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी	निदेशक (प.क.)	
		40.	नसबन्दी प्रमाण-पत्र (महिला)	1 माह	प्रभारी चिकित्सा संस्थान	नर्सिंग प्रभारी	जिला मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी	निदेशक (प.क.)	-
Variable of the last of the la		41.	नसवन्दी प्रमाण—पत्र (पुरुष)	3 माह (सीमन के टैस्ट के बाद)	प्रभारी चिकित्सा संस्थान	नर्सिंग प्रभारी	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	निदेशक (प.क.)	-
		42.	पोस्टमार्टमन रिपोर्ट	24 घंटे	चिकित्सा अधिकारी	स्टोर प्रभारी	मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	अतिरिक्त (चिकि.प्रशा)	-
The second district the se		43.	मेडिकोलीको रिपोर्ट (MLC)	24 घंटे	चिकित्सा अधिकारी	स्टोर प्रमारी	मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	अतिरिक्त (चिकि प्रशा.)	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
কর্जা	44.	(I) नये घरेलू,	100	16.0				इलेक्ट्रिफाई
विभाग		अव्यवसायिक						एरियाज में
	1	कनेक्शन जारी		347-4				घरेलू./
		करना		1 6 6 6			1	व्यवसायिक
								औद्योगिक
		(विद्युतीकृत	1					कनेक्शन दे
	1	क्षेत्रों में)						के प्रावधान
								क्रम संख्या
								एवं २ (४४)
								वर्णित किये
		N/ PS-						गये है एव
		The second second						नोन
								इलेक्ट्रिफाई
	1		- No. 17	no fil	1-11-11		i de la constitución de la const	एरियाज में
	11		and and					उपरोवत
	1		-	1991 . (18				कनेक्शन व
		IT's stiffe		198				के प्रावधान
	11	. Le 200		11.00			-	क्रम संख्या
	11	11.0		Term				(48) H af
			EC.					किये गये
								नोट:-
		The Land	11-17			=11		(i) विद्युत
	1							लाइन/
		-land-ar						ट्रांसफार्मर
			i i		(0.5)			स्थापित क
		limber.		1 4		_		के लिये स्थ
				1711				के सम्बन्ध
	3			17,000			is a second	होने वाले
	1 3	HTE - 100-	11-0	14 13				किसी भी उ
		He was a second		1 17 12	5			के विवाद
								लिये आवेद
E								उत्तरदायी
	1							होगा। उर
			, , , , ,					दी गयी वि
		and the sale					a.	की गणना
				l i				अनुसूची के
			9.					अनुसार
								विवाद की
								ियती, न्याय
			offine in					के स्थानन
		20 H		n part		1 0 0		स्थान के वि
				1-10-1				विवाद औ
						l de la		अन्य अपरि
								परिस्थितिय
		8						के कारण
				in the				विलम्ब मे
			ii .	no et				की जाएगी
					1 4 1			आवेदक द
								इस प्रकार
								प्रकरणों के
	1	Fig. 1	a . Hovel II.					लिये लिखि
	+ 1	* I I I I I I I I I						से सूचित व
		10.41		partiti S				दिया जाएग
		H _{elbe} lt	l i	*				(ii) दिवर
								तात्पर्य कार
				18-1				दिवसों से
				2000				(iii) उक्त
	1							समय सारि
	1 - 3							सामान्य का
								दशा में
								अनुप्रयोज्य
		(अ) डिमाण्ड नोट	आवेदन पत्र	सहायक	कनिष्ठ	अधिशाषी	अधीक्षण	-
		जारी करना	प्राप्त होने से	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	
TI	100	SECOND RECEASES	21 दिवस की	-sympetism(V)	own with the state of the state	- SATISTICS WAS	SAME ACTION IS	
	-		अवधि में					
		(ब) कनेक्शन जारी	औपचारिकता	312131.5		24070		-
				सहायक	कनिष्ट	अधिशाषी	अधीक्षण	(H)
		करना (जहां	पूर्ण करने व	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	
37		डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स के	डिमाण्ड नोट					
		विस्तार की	जमा करवाने					
		आवश्यकता न हो)	के बाद शहरी					
	-	3/	क्षेत्रों में 30					
	1 1		दिवस की					

2	3	4	5	6	7	8	9	10
			अवधि तथा ग्रामीण क्षेत्रों				- M.	10
			में 45 दिवस की अवधि में					
		(II) विद्युतीकृत	The state of the s					
		संस्थतियों में नये						
		औद्योगिक कनेक्शन			n Sa			
		जारी करना		manner	कनिष्ठ	Orres Pare	are Porru	
		1. संभव्यता		सहायक अभियन्ता	कानक अभियन्ता	अधिशाषी । अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	-
		(Feasibility) की		आनवन्ता	जानवन्ता	आभवन्ता	आनवन्ता	
		रिपोर्ट जारी करना	प्रार्थना पत्र		- Control			
	-se	(अ) लोड 300 से	प्राप्ति के 45		1443			
		अधिक 3000 कि.वा. तक	दिवस की					
		ાવગુવા. લવગ	अवधि में				De 17	
		(ৰ) লাভ 3000 কি.	प्रार्थना पत्र				Charles and the	
	-	वा. से अधिक 33	प्राप्ति के 45		16. 11.14			
		के.वी सप्लाई तक	दिवस की		THE RES			
			अवधि में				-61-	
		(स) 132 के.वी. से	प्रार्थना पत्र					
	9	अधिक उच्च	प्राप्ति के 60					
		वाल्टेज	दिवस की		- 11. 111			
	-		अवधि में		740-77			
		 डिमाण्ड नोट जारी करना 						
		(अ) लोड ६० एच.	प्रार्थना पत्र	सहायक	कनिष्ठ	अधिशाषी -	अधीक्षण	
		पी तक	प्राप्ति के 21	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	अधावाण	
		- 13 NO	दिवस की	01119 (11	GII-14-CII	Oll 19 til	511-19-(1)	-
			अवधि में					
		(ब) लोड 60 एच.पी	प्रार्थना पत्र		de Mil			
		से अधिक 300	प्राप्ति के 30				1	
	X	कि.वा. तक	दिवस की				THE .	
			अवधि में		1			
		(स) लोड 300 कि.	प्रार्थना पत्र					
		वा. से अधिक 3000 कि.वा.	प्राप्ति के 60 दिवस की		-101000			
	ĺ	3000 (क.व). तके	अवधि में					
		(द) लोड 3000 कि.	प्रार्थना पत्र			11.2		
		वा. से अधिक 33	प्राप्ति के 60		7013			
		के.वी आपूर्ति	दिवस की					
	Ι.	तक	अवधि में			100.1		
		(ध) 132 के.वी. से	प्रार्थना पत्र					
		अधिक उच्च	प्राप्ति के 120		Dr. Top 1			
		वोल्टेज	दिवस की					
		0 = 1	अवधि में		1.95			
		 कनेक्शन जारी करना 						
		(जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन						
	1	मेन्स के विस्तार की						
		आवश्यकता न हो)						
		(अ) लोड 60 एच.	डिमाण्ड	सहायक	कनिष्ठ	अधिशाषी	अधीक्षण	
		थी. तक .	नोटिस/अन्य	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	
			औपचारिकताएं					
			पूर्ण होने के					
			पश्चात् 30 दिवस की					
			अवधि मे		-			
		(ब) लोड 60 एच.पी.	डिमाण्ड					*
		से अधिक 300	नोटिस/अन्य				1 7	
		100000000000000000000000000000000000000	औपचारिकताएं					
			पूर्ण होने के				Eldel.	
			पश्चात् 60					
			दिवस की		24			
			अवधि मे					
		(स) लोड 300 कि.या.	डिमाण्ड	all and	cular 1			
		से अधिक 3000	नोटिस/अन्य		117			
		कि.वॉ तक	औपचारिकताए					

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(द) लोंड 3000	पूर्ण होने के पश्चात् 75 दिवस की अवधि मे डिमाण्ड		To Chee A	,	John :	
			कि.वा. से अधिक	नोटिस/अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के					
		†	in the	पश्चात् 90 दिवस की अवधि में डिमाण्ड नोटिस/अन्य					
			(ध) 132 के.वी. से अधिक उच्च वोल्टेज	औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् 180 दिवस की अवधि में।		in the same of the	a.Z		
		45.	विद्युत बिल को ठीक करवाना	3/4/4/4/1		7 7 2 10			
			(I) गलत विपन्न/ अनुचित टैरिफ/ विद्युत विपन्न प्राप्त न होना/ अपर्याप्त समय की शिकायत	3 घंटे के भीतर—यदि उपभोक्ता द्वारा या दूरभाष द्वारा सूचित किया	सहायक राजस्य अधिकारी	लेजर कीपर	ंसहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	
				जाता है। डाक से प्राप्त होने पर 7 दिवस की अवधि मे					
			(II) गणितीय त्रुटि या विद्युत विपत्र भुगतान के लिये दिये अपर्याप्त समय की शिकायत	सूचित किये जाने वाले दिवस में शिकायत डाक द्वारा प्राप्त होने वाले दिवस में	सहायक राजस्व अधिकारी	लेजर कीपर	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	
			(III) अन्य विपन्न सम्बन्धित शिकायत	7 दिवस में	सहायक राजस्व अधिकारी	लेजर कीपर	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	
			(IV) अन्य शिकायत	30 दिवस में जाँच करने के पश्चात् 60 दिवसों में उसका संशोधन कर दिया जाएगा	सहायक अभियन्ता	सहायक राजस्व अधिकारी	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अमियन्ता	
			(V) उच्च तापीय उपभोक्ता के विद्युत विपन्न सम्बन्धित शिकायत	3 दिवसों में	सहायक लेखाधिकारी (एच.टी बिलिंग)	लेखाकार .	वरिष्ठ लेखाधिकारी (एच.टी बिलिंग)	मुख्य लेखाधिकारी	
		46.	भीटर बदलवाना			15 10	PW.		
			(i) निगम द्वारा निरीक्षण,चैंकिग एवम् टैस्टिंग के दौरान मीटर के खराब (बंद होने, धीरे चलने,तेज चलने,	60 दिवस (खराबी पता चलने के दिन से)	कनिष्ठ अभियन्ता	लाईन भैन	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	
			एवम् सही रीडिंग रिकार्ड नहीं होने की स्थिति) पाये जाने पर (ii) उपभोक्ता द्वारा	-		19 FG 19 FG 19 FG 19 FG	ring" posts posts		
			मीटर के सहीं न चलने एवम् इसे बदले जाने के लिए आवेदन पश्चात्	15 दिवस	कनिष्ठ अभियन्ता	लाईन मैन	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	

	2	3	4	5	6		7	8	9	10
		47.	विद्युत सप्लाई को							10
1.		1	ठीक करवाना							
			(i) वोल्टेज सम्बन्धत		कनिष्ठ	Ų	स.बी.ए.	सहायक	अधीशाषी	
			शिकायत / विद्युत	अवधि में	अभियन्ता			ar@arm	अभियन्ता	
			आपूर्ति में किसी भी	औद्योगिक,			The party	Suria di	आनवन्ता	
			कारण आए व्यवधान							
			जैसे कि उपभोक्ता							
			के परिसर में या		The state of	18				
				जनस्वास्थ्य	178			11		
			वितरण ट्रांसफार्मर	अभियांत्रिक	1170	100				
			के एल.टी / एच.टी	क्षेत्र में।		1		Mag		
ĺ			पयूज/एम.सी.बी के	24 घंटे		1 .		H - OF N		
			कारण, या कनेक्शन	ग्रामीण क्षेत्रों						
		П	के ढीले होने या	में						
			मीटर,एम.सी.बी,	250						
			सर्विस लाइन से					Maria		
			कनेक्शन विच्छेदित					77116		
			होने पर (लाइन के							
			फाल्ट,विद्युत वितरण							
			और पावर ट्रांसफार्म					5 OLD UP		1
	Ĭ		के असफल होने के							1
			या असमाल हान क							
-			अतिरिक्त)					-		
			प्रातः ८ बजे से					lar r		
			रात्रि 10 बजे					1 10000		
			(ii) रात्रि में प्राप्त	अगले दिन	कनिष्ठ	एर	न.बी.ए.	सहायक	अधीशाषी	
		- 1	विद्युत आपूर्ति	4 घंटे की	अभियन्ता	3.3	6-26-56	अभियन्ता		
			सम्बन्धित	अवधि में	STATISTICS NO.			आनवन्ता	अभियन्ता	
	ì	1 1	व्यक्तिगत	औद्योगिक,				(tr. 1)	inol .	
	1	1						100		
	1		शिकायत रात्रि	म्युनिसपल,						
	1		10 बजे से प्रातः	रक्षा एवं						
	1	- 1	8 बजे	जनस्वास्थ्य		ATTER T				
		- 1		अभियांत्रिक						
		İ		क्षेत्र में।				n nim		
				24 घंटे				- 111	7	
				ग्रामीण क्षेत्रों						
		- 1		में		e.£			(T= 1)	
			(11) 4 1		0					
	i		(iii) लाइनों के	8 घंटे की	कनिष्ठ	लाइ	न मैन	सहायक	अधीशाषी	
		-	फाल्ट	अवधि में	अभियन्ता			अभियन्ता	अभियन्ता	
	- 1			औद्योगिक,						
				म्युनिसपल,			- 40/	N. 7 (III		
				रक्षा एवं				Tir.	9-5	
	1	- 1		जनस्वास्थ्य						
		- (अभियांत्रिक			100			
							111			
				क्षेत्र में।			1		AN E	
				24घंटे			NOTE:		10	
				ग्रामीण क्षेत्रों						
	- 1			में						
		6	iv) वितरण	औद्योगिक,	सहायक	76 F	नेष्ट	Oren Gara	2-0	
		1		म्युनिसपल,	अभियन्ता			अधीशाषी	अधीक्षण	
		1			जानवन्ता	आम	यन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	
			विफलता	रक्षा एवं				100		
				जनस्वास्थ्य						
				अभियांत्रिक					21	
			1.	क्षेत्र में			I STUDIO		7	
				ट्रांसफार्मर						
				को बदलने						*
	1			एवं			-		7	
							De 16			
			191	पुनःस्थापित			. 40			
				करने की						
			f	स्थिति में दो			100	11		
	-			दिवस।			100			
		1-	3	गमीण क्षेत्रों			THEFT			
			1	र्ग शिकायत	-		1000			
	1									
		1		प्राप्त हाने			1			

2	3	4	5	6	7 .	8	9	10
	47.	विद्युत सप्लाई को ठीक करवाना						
		(i) वोल्टेज सम्बन्धत	4 घंटे की	कनिष्ठ	एस.बी.ए.	सहायक	अधीशाषी	
		शिकायत / विद्युत	अवधि में	अभियन्ता		अभियन्ता	अभियन्ता	
		आपूर्ति में किसी भी						
		कारण आए व्यवधान			A			
		जैसे कि उपभोक्ता	रक्षा एवं		. In			
		के परिसर में या	जनस्वास्थ्य					
		वितरण ट्रांसफार्मर	अभियांत्रिक	17"1.19	e turber -			
		के एल.टी / एच.टी	क्षेत्र में।		1711			
		फ्यूज / एम.सी.बी के	24 घंटे		171			
		कारण, या कनेक्शन	य घट ग्रामीण क्षेत्रों		rice In the			
		के ढीले होने या	ग्रामाण दात्रा में	-	The state of			
		मीटर,एम.सी.बी.	-11	-	-ibe			
		सर्विस लाइन से		-			a section	
		कनेक्शन विच्छेदित						
		होने पर (लाइन के						
		फाल्ट,विद्युत वितरण						
		और पावर ट्रांसफार्मर						
		के असफल होने के						
		अतिरिक्त)			1		1,11	
to the		प्रातः ८ बजे से					The same	
		रात्रि 10 बजे						
			अगले दिन	कनिष्ठ	एस.बी.ए.	सहायक	अधीशाषी	
		(ii) रात्रि में प्राप्त	4 घंटे की	कानण्ड अभियन्ता	7.71.91.9.	अभियन्ता	अधाशाषा अभियन्ता	
		विद्युत आपूर्ति	अवधि में	आनयन्ता		आमयन्ता	आमयन्ता	
		सम्बन्धित					1997	
		व्यक्तिगत	औद्योगिक,				-MAIL TO	
		शिकायत रात्रि	म्युनिसपल,	II DI				
		10 ब्जे से प्रातः	रक्षा एवं					
		8 बजे	जनस्वास्थ्य		100			
	7		अभियांत्रिक		100			
			क्षेत्र में।					
			24 घंटे				,	
			ग्रामीण क्षेत्रों		, e			
		g/	में		*			
	1	(iii) लाइनों के	8 घंटे की	कनिष्ठ	लाइन मैन	सहायक	अधीशाषी	
		फाल्ट	अवधि में	अभियन्ता	CSAVAS AC NAV	अभियन्ता	अभियन्ता	
			औद्योगिक,					
~			म्युनिसपल,		01			
			रक्षा एवं		- 00		m 5	
	ì		जनस्वास्थ्य		0.00		- 5% File	
			अभियांत्रिक					
			क्षेत्र में।				GI	
			24घंटे				11	
	1		ग्रामीण क्षेत्रों		686			
			ग्रामाण क्राजा में					
		Circl D	औद्योगिक,	The state	कनिष्ठ	2 To Arrest	am Province	-
		(iv) वितरण		सहायक		अधीशाषी	अधीक्षण	
		ट्रांसफार्मरों की	म्युनिसपल,	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	
		विफलता	रक्षा एवं	15	1 11 11			
			जनस्वास्थ्य		100			
			अभियांत्रिक					
			क्षेत्र में					
			ट्रांसफार्मर	* ×	2000			100
			को बदलने		10.7		1.	
		,	एवं					
	1		पुनःस्थापित		7 (0)			
	1	ri.	करने की					
			रिथति में दो	CHARLE				
		1 1	दिवस।		100			
	1	1						
			기계에 생하다		7.55		1	
			ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत		197	HE .		

2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plation Intelligence	के पश्चात् 7 दिवस, एवं 3 दिवस सत्यापित होने के पश्चात् या जो भी पहले हो	The				10
		(v) पावर ट्रांसफार्मर स्विच गीयर र सम्बन्धित की विफलता	7 दिवस यदि पुनः स्थापित ने करना तकनीकि रूप से संभव हो तो 2 दिवस	अधीशाषी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता 	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	
	48.	इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सेवाओं से संबंधित मामलों में शर्तों के साथ सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान						
		(I) नये घरेलू, व्यवसायिक कनेक्शन जारी करना				10 m		9
		(i) (जहां डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स् के विस्तार की आवश्यकता हो) (अ) एल.टी. लाइन (ब) 11 के.वी. लाईन—प्रथम 5 कि.मी. तक—अगले प्रति 5 कि.मी. (द) 132 के.वी लाईन—प्रथम 5 कि.मी. तक—अगले प्रति 5 कि.मी. तक—अगले प्रति 5	15 दिवस अतिरिक्त 30 दिवस अतिरिक्त 15 दिवस अतिरिक्त 60 दिवस अतिरिक्त 30 दिवस अतिरिक्त 180 दिवस अतिरिक्त	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	
•		कि.मी.	45 दिवस अतिरिक्त नोट:- विस्तार कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् निगम द्वारा अधिष्ठापना का निरीक्षण कर 15 दिवस की अवधि में कनेक्शन जारी कर दिया					

2	3	4	- 5	. 6	7	8	9	10
		(ii) जहाँ नया सब स्टेशन अपेक्षित है	•			H = 1.		
		(अ) 11 / के.वी 0.4 के.वी. सब—स्टेशन	अतिरिक्त 30दिवस	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियैन्ता	मुख्य अभियन्ता	
					eni sipar			
		(ब) 33 / 11 के.वी. सब—स्टेशन	अतिरिक्त 120 दिवस					
		(स) 33 / 11 के.वी. 4 के.वी. सब—स्टेशन पर खण्ड (Bay) का विस्तार	अतिरिक्त 30 दिवस				.5	
19		(द) 132/33/11 के.वी. सब—स्टेशन	अतिरिक्त 12 महीने				-	٧.
	11/	#(T0)	0.0				-	
		(ध) 132 केबी सब स्टैशन पर खण्ड का विस्तार	अतिरिक्त 45 दिवस					
			- 6		× 10			
		(iii) जहाँ ट्रांसफार्मर सब स्टेशन						
		की क्षमता में आवर्धन किया जाना है वहा			= 22			
		आपूर्ति	अतिरिक्त	सहायक	अधिशाषी	अधीक्षण	मुख्य	
:*		(अ) 11 / 0.4 के.वी. सब—स्टेशन (ब) 33 / 11 के.वी.	15 दिवस अतिरिक्त	अभियन्ता	अभियन्ता :	अभियन्ता	अभियन्ता	
		सब-स्टेशन (स) 132/33/11	60 दिवस अतिरिक्त				44.	
		के.वी. सब—स्टेशन	6 माह	Ч	Tre I II I I I			
		(II) नये औद्योगिक कनेक्शन जारी						
		करना (i) (जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स के		सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	a 7
		विस्तार की आवश्यकता (सभी प्रकार के	i. (#)	10				S. S
		लोड के लिये) (अ) एल.टी लाईन	15 दिवस अतिरिक्त					
		(ब) 11/के.वी. लाईन—प्रथम 5 कि.मी. तक —	30 दिवस अतिरिक्त					
		अगले प्रति 5 कि.मी.	15 दिवस अतिरिक्त				ă,	. 477 10 (100)
		(स) 33 / 11 लाईन— 1.5 कि.मी तक— अयले प्रति 5 कि.मी.	60 दिवस अतिरिक्त 30 दिवस अतिरिक्त	The state of		Li	y liq	97)

				~		7	8	595	10
	1		(द) 132/33/11	180 दिवस					
			के.वी.लाईन—	अतिरिक्त	•				
			1.5 कि.मी						
			तक-अगले	45 दिवस					
			प्रति 5 कि.मी	अतिरिक्त					
h			311.10 147.11	नोट:-					
				Company State Company	= 1				
ŀ			à	विस्तार कार्य					
L				पूरा हो जाने		nadada la			
				के पश्चात					
				निगम द्वारा					
				अधिष्ठापना					
	-					1015			
				का निरीक्षण		and he			
				कर 15					
		1		दिवस की	P = 127				
П				अवधि में					
				कनेक्शन	- V			G T	
				जारी कर		en la		1.0	
	*					ed a			
				दिया जाएगा	10 m				
			(ii) जहाँ नया		THE THE	कनिष्ठ	Arterial Contract	2 m Charres	
			सब-स्टेशन या		सहायक	The Control of the Co	अधिशाषी	अधीक्षण	
ļ,	Wasses IIIs		ट्रांसफार्मर	I provide	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	
			सब–स्टेशन का		PIR	197 11.00			
			आवर्धन अपेक्षित हो						
			वहा आपूर्ति	0.0					
			(अ) 11 / के.वी 0.4	अतिरिक्त		-			
ŀ			के.वी.	30 दिवस				100	
	~ 1		सब-स्टेशन		- 1				
				अतिरिक्त					
			(ब) 33 / 11 के.वी.	and the second s					
			4 के.वी.	120 दिवस					
			सब-स्टेशन						
			(स) 33 / 11 के.वी.	अतिरिक्त	T.				
			4 के.वी.	30 दिवस	N	= 2			
				OU IMMU	A III I	unit like			
		4	सब-स्टेशन पर	Tewquicin	a month				
			खण्ड (Bay)		10.000				
			का विस्तार			ov Kitt.		3X III	
			(द) 132/33/11	अतिरिक्त		84 M	1000		
			के.वी. 4 के.वी.	12 महीने		Test tribe		t- 00) 1 _1	
				12 1013		7877 A.			
			सब- स्टेशन						
			(ध) 132 केबी सब	अतिरिक्त		-			
1			स्टेशन पर खण्ड	45 दिवस		- 1			
l			का विस्तार					1	
1					सहायक	कनिष्ठ	अधिशाषी	अधीक्षण	
ĺ			(iii) जहां ट्रांसफार्मर		अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	
ĺ		- 1	सव-स्टेशनकी	IEI P	जानवन्ता	जानवन्ता	जानवन्ता	जानवस्था	
			क्षमता में						
			आवर्धन किया	1					
l			जाना है वहाँ			5		190	
l			आपूर्ति					176	
			(अ) 11 / के.वी. 4	अतिरिक्त					
1			के.वी.सब—स्टेशन	100					
1			(ब) 33 / 11 के.वी.	अतिरिक्त				by the	
		- 61	सब-स्टेशन	60 दिवस		200			
		*	(स) 132/33/11	अतिरिक्त		0100			
			7-0 -2-0						
			के.वी. ४ के.वी.	6 माह		0.765			
			सब-स्टेशन						
T	खाद्य,	49.	नये राशन कार्ड	आवेदन प्राप्ति		6775	4		
	नागरिक	1.52	बनवाने हेतु	से 7 दिवस		PROS. I.		100	
			(4) fam many	M. C. IMMAN	Con row	- PACT 17 CO	Com	THE BUTT	
	आपूर्ति		(1) जिला मुख्यालय		जिला रसद	-	जिला	प्रमुख शासन	-
	और		का नगर—		अधिकारी /		कलक्टर	सचिव, खाद्य	
-11	उपभोक्ता		पालिका क्षेत्र		क्षेत्रीयं रसद			विभाग	
ľ	0.4.11.4(11		No. of the Control of					The state of the s	
	मामलें				अधिकारी	71.		(मुख्यालय)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(द) 132/33/11 के.वी.लाईन— 1.5 कि.मी	180 दिवस अतिरिक्त	*		RT ALL MENUL I		427
			तक—अगले	45 दिवस					
			प्रति 5 कि.मी	अतिरिक्त		1001			
			4-200	नोट:-		1			
			E	विस्तार कार्य					
				पूरा हो जाने	*				
				के पश्चात्		political most inte		100	
				निगम द्वारा	- 1	The state of the s			
				अधिष्ठापना	1.91 (0.0)	14:010kg			
				का निरीक्षण		177 F 86			
				कर 15					
				दिवस की					
			- 4 JU 111-1	अवधि में		1.00		100	
				कनेक्शन	100	M11/16		1131 7	
				जारी कर		The state of			
			(;) चर्ने ना	दिया जाएगा	*1:				
			(ii) जहाँ नया सब–स्टेशन या		सहायक	कनिष्ठ	अधिशाषी	अधीक्षण	
	المراجوة		ट्रांसफार्मर	4001	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	
			सब–स्टेशन का		8 5	W 5 84			
			आवर्धन अपेक्षित हो						
			वहा आपूर्ति						
			(अ) 11 / के.वी 0.4	अतिरिक्त					
			के.वी.	30 दिवस				w 1910	
			सब-स्टेशन	2000000				F .	
			(ब) 33 / 11 के.वी.	अतिरिक्त					
ı			4 के.वी.	120 दिवस					
I			सब—स्टेशन						
			(स) 33 / 11 के.वी.						
i			4 के.वी.	30 दिवस	,	Total Pelon		°	
ı			सब-स्टेशन पर	555		1 mail 41			
I			खण्ड (Bay)		8 /	w office		ER (W)	
I			का विस्तार	and and	278	0,-37 (0,			
			(年) 132/33/11	अतिरिक्त 12 महीने		1 11111	200	AL THE PARTY	
			के.वी. ४ के.वी. सब— स्टेशन	12 9619		anny ar		. "	
I			(ध) 132 केबी सब	अतिरिक्त					
I			(व) 132 प्राची सब स्टेशन पर खण्ड	45 दिवस	- ;		100	Gerth I	
			का विस्तार	13731					9.0
			(iii) जहां ट्रांसफार्मर		सहायक	कनिष्ठ	अधिशाषी	अधीक्षण	
			सब-स्टेशनकी	35714	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	अभियन्ता	
			क्षमता में						
			आवर्धन किया			1.0			
1			जाना है वहाँ						
			आपूर्ति					m l	
l			(अ) 11/के.वी. 4	अतिरिक्त	-,				
			के.वी.सब—स्टेशन	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF				h i	
			(ब) 33 / 11 के.वी.	अतिरिक्त		W/15_2/		87 101	
		22	सब—स्टेशन	60 दिवस		1700			
			(स) 132/33/11	अतिरिक्त		1015			
			के.वी. ४ के.वी.	6 माह	-1 -	76.1			
			सब-स्टेशन						
CONTRACT OF	खाद्य,	49.		आवेदन प्राप्ति					
	नागरिक		बनवाने हेतु	से 7 दिवस	0	5m;	6		
	आपूर्ति	27	(1) जिला मुख्यालय		जिला रसद	=	जिला	प्रमुख शासन	
	और उपमोक्ता		का नगर-		अधिकारी /	0 0	कलक्टर	सचिव, खाद्य	
	चपमाक्ता मामलें		पालिका क्षेत्र		क्षेत्रीय रसद	Them		विभाग	
	नामल विभाग		62	A Company	अधिकारी	HAT I		(मुख्यालय)	
	174773375	fine and							

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
		परीक्षण उर्त्तीण करने के पश्चात्)		निरीक्षक / उप निरीक्षक)	<u>(4</u>	711	,	
	56.	डुप्लीकेट लाईसेन्सः (1) निजी वाहन (2) व्यावसायिक वाहन	3 दिवस में 3 दिवस में	अनुज्ञप्ति अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी / मोटर वाहन निरीक्षक / उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक /उप निरीक्षक	ят.ч.эт.	परिवहन आयुक्त	
	57.	लााईसेन्स का नवीनीकरण: (1) निजी वाहन • उसी जिले में जारी लाईसेन्स के लिए • अन्य जिले/ राज्य से जारी लाईसेन्स के लिए	3 कार्य दिवस 45 दिवस	अनुज्ञप्ति अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी / मोटर वाहन निरीक्षक / उप निरीक्षक)	मोटर वाहन निरीक्षक / उप निरीक्षक	уг.ч.зг.	परिवहन आयुक्त	
		(2) व्यावसायिक वाहन • उसी जिले में जारी लाईसेन्स के लिए • अन्य जिले / राज्य से जारी लाईसेन्स के	⁷ 3 कार्य दिवस 45 दिवस		ju -			
. वित्त विभाग : (1) समस्त विभाग	58.	सेवा निवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण / समस्याओं का निवारणः कर्मचारी का पूर्ण पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाना (पेंशन प्रकरण तैयार करने हेतु रा.सि.से.पे.नियम, 1996 के परिशिष्ट- VIII में वर्णित कार्यवाही निर्धारित समय पर पूरी की जानी है)	सेवा निवृति के 6 माह पूर्व	पैतृक विभाग का कार्यालय अध्यक्ष		पैतृक विभाग का विभागाध्यक्ष	संचिव, प्रशासनिक विभाग	कर्मचारी द्वारा रासि, से.पेंशन नियम, 1996 के परिशिष्ट- XI में वर्णित कार्यबाही निर्धारित समय में पूरी की जाने की शर्त के अध्यधीन
	59.	सेवा में रहते कर्मचारी की / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन एवं उपादान स्वीकृति का प्रकरण तैयार कर् पेंशन विभाग को भिजवाना	पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने की 1 माह में	पैतृक विभाग का कार्यालय अध्यक्ष		पैतृक विभाग का विभागाध्यक्ष	सचिव, प्रशासनिक विभाग	पात्र पारिवारिक पेशनर द्वारा प्रपत्र 14/ 20 (जो भी लागू हो) में निर्धारित समय पर आवेदन करने के अध्यधीन

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	(2) पेंशन एवं	60.	पेंशन एवं उपादान एवं रूपान्तरित पेंशन	सेवा निवृत्ति से 1 माह	सहायक	संबंधित सहायक	निदेशक, पेंशन विभाग	सचिव, प्रशासनिक	=
1000	पेंशनर्स वेलफेयर		अधिकृत करना (राज सिविल सेवा	पूर्व या पूर्ण प्रकरण प्राप्त	निदेशक	लेखाधिकारी		विभाग	
	विभाग		(पेंशन) नियम,	होने के 1					4
			1996-नियम 87)	माह की					
				अवधि में					- a
			261	(अपूर्ण प्रकरण प्राप्त					
			5 (11)	होने पर 1	lu lu lu lu			1.7	
		-	ALL THE PARTY OF T	माह में					
			to When	वापिस					
			1000 000	लौटाया जावेगा)					
		61.	सेवा में रहते	कार्यालया–	संबंधित	संबंधित	निदेशक,	सचिव,	
		5.9	कर्मचारी /	ध्यक्ष से पूर्ण	सहायक	सहायक	पेंशन विभाग	प्रशासनिक	
			पारिवारिक पेंशनर	प्रकरण प्राप्त	निदेशक	लेखाधिकारी		विभाग	
			की मृत्यु के प्रकरण में परिवार पेंशन एवं	होने के 15 कार्य दिवस					
			उपादान की	में (अपूर्ण					
			अधिकृति जारी	प्रकरण 15					
			करना	कार्य दिवस					*
		20		में वापिस लौटाया					
				जावेगा)					
	(3) कोष	62.	पेंशन का प्रथम	अधिकृति	संबंधित		निदेशक,	सचिव,	प्रथम
	एवं लेखा		भुगतान एवं	प्राप्त होने	कोषाधिकारी /		कोष एवं	प्रशासनिक	भुगतान व
	विभाग		उपादान, रूपान्तरित	के बाद 30	उप		लेखा विभाग	विभाग	पेशनर क
			पेंशन की अधिकृतियों का	दिन में या पेंशनर के	कोषाधिकारी				कोषामार / उप
			भुगतान	कोषागार में					कोषागार
				उपस्थित			\$7		व्यक्तिशः
				होने के 7					उपस्थित
				दिन में या देय तिथि					होने के अध्यधीन
				को (जो भी					OLESIAIT I
				बाद में हो)	7.				
	(4) कोष लेखा		सेवा निवृत्त						
f	लखा वेभाग एवं		अधिकारियों / कर्मचारियों की						
	पेंशन एवं		समस्याएं / प्रकरणः		10				
	पेंशनर्स		71.00	F. K					-
	कल्याण विभाग								
	14711	63.	कम्यूटेशन पेंशन का	रा.सि.से.	संबंधित	अतिरिक्त	संबंधित	निदेशक	जिन
		-	रेस्टोरेशन		कोषाधिकारी/	कोषाधिकारी /		,कोष एवं	प्रकरणो
			1 2 1	1996 के	उप	सहायक	निदेशक,	लेखा विभाग	पेंशन
				नियम 29 में	कोषाधिकारी	कोषाधिकारी	कोष एवं		भुगतान्
				निर्धारित अवधि पूर्ण			लेखा विभाग,		आदेश में कम्यूटेश
				होने के बाद					पेंशन के
				बैंक के					रेस्टोरेश
				माध्यम से					की दिनां
				आवेदन प्राप्ति					निर्धारित उनके लि
				दिनांक से					उनक ।ल संबंधित
		la i		30 दिवस	3 1 1				बैंक को
					,				अधिकृत
				10					किया हु3 है

4	2	5				टूबर 5, 2011			गग 1 (ख
1	2	64.	पेंशन के	5	6	7	8	9	10
		64.	जीवनकालीन ऐरियः का भुगतान	समस्त र दस्तावेजों के साथ					
			3	आवेदन पत्र		41.			
				प्राप्त होने					
				पर					
				VC0001 40000					
				(1) ऐरियर	संबंधित	कोषाधिकारी /	संबंधित	निदेशक,	
				राशि 50,000 रुपये तक	कोषाधिकारी		संयुक्त	कोष एवं	
				होने पर 30		कोषाधिकारी /	निदेशक .	लेखा विभाग	
				दिन में		सहायक कोषाधिकारी	कोष एवं लेखा विभाग		
ı				भुगतान		पगपावपगरा	लखा ।पनाम		
			SO IN THE PERSON		10			1 - 11	
			ment Told -	(2) ऐरियर	संबंधित	कोषाधिकारी /		निदेशक,	
ı			line.	राशि 50,000 रुपये	कोषाधिकारी	अतिरिक्त कोषाधिकारी /	संयुक्त निदेशक ,	कोष एवं	
				से अधिक		सहायक	कोष एवं	लेखा विभाग	
ı				का होने पर		MCIA.	लेखा विभाग		
				निदेशालय		111 204			
				पेंशन को		F 100 -			
				30 दिन में भेजना		1.11			
			** 	(3) ऐरियर	संयुक्त	सहायक	निदेशक,	no.	
				रशि 50,000	निदेशक,	निदेशक, पेंशन	पेंशन एवं	सचिव, प्रशासनिक	4 (4)
				रुपये से	निदेशालय,	THE RESERVE THE STATE OF	पेंशनर्स	विभाग	
				अधिक होने	पेंशन		कल्याण	11 11	
				पर		di Terri	विभाग	1	
				कोषाधिकारी			10	- P. T. T.	
				से पूर्ण					
				प्रकरण प्राप्त होने की					
				तिथि से 30					
				दिन में					
				भुगतान					
				स्वीकृति					
		65.	पीपीओ के पेंशनर	जारी करना बैंक के	संबंधित	a+DD		0.1	2011
		65.	हॉफ की डुप्लीकेट	माध्यम से	कोषाधिकारी	अतिरिक्त कोषाधिकारी /	संबंधित संयुक्त	निदेशक ,कोष एवं	
			प्रति जारी करना	आवेदन पत्र	40.40.50.51	सहायक	निदेशक.	लेखा विभाग	
				मय		कोषाधिकारी	कोष एवं	ingoverning systems	levier :
				दस्तावेज			लेखा विभाग,		
				एवं पूर्ण					
				पत्रावली के प्राप्त होने			71.097		
				पर 30 दिन					
			pre ada	में					
4	चिकित्सा	66.	विकलांगता प्रमाण	प्रत्येक	संबंधित	अतिरिक्त /	अधीक्षक	प्रधानाचार्य	
	शिक्षा		पत्र •	सोमवार उसी दिन	विभागाध्यक्ष	उप अधीक्षक	संबंधित चिकित्सालय	एवं चित्राच्या	
			*	व्या दिन			ापापग्रत्वालय	नियन्त्रक, मेडिकल	
								कॉलेज	
		67.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	24 घण्टे	विभागाध्यक्ष,	सह आचार्य /	अधीक्षक	प्रधानाचार्य	
					फोरेन्सिक	सहायक	संबंधित	एवं	
					मेडिसिन	आचार्य,	चिकित्सालय	नियन्त्रक,	
				- 1		फोरेन्सिक		मेडिकल कॉ रेज	
	-Tm0	00		20 9-77	गांतंशिच −ो-	मेडिसिन संबंधित जोन	ਗ਼ਿਵਿਕ	कॉलेज अगस्त	
	नगरीय विकास	68.	नाम हस्तान्तरण	30 दिवस (पूर्ण एवं	संबंधित जोन उपायुक्त	सबाधत जान तहसीलदार/	सचिव, जविप्रा /	आयुक्त, जविप्रा /	
ji.	विभाग			समस्त	जविप्रा /	डीटीपी / एटीपी	जोविप्रा	जोविप्रा	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
48			दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)	जोविप्रा न्यास के प्रमारी अधिकारी	जविप्रा/ जोविप्रा/ प्रकोष्ठ प्रभारी नगर सुधार	सचिव, नगर सुधार न्यास	अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	10
			H H	- I IIII-XI	न्यास			
	69.	भूखण्ड का उप- विभाजन/ पुनर्गठन	45 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)	संबंधित जोन . उपायुक्त जविप्रा / जोविप्रा / न्यास के प्रभारी अधिकारी	संबंधित जोन तहसीलदार/ डीटीपी/ एटीपी जविप्रा/ जोविप्रा/ प्रकोष्ठ प्रभारी नगर सुधार	सचिव, जविप्रा / जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास	आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	
					न्यास			
	70.	दस्तावेज / मानचित्र की प्रति प्राप्त करना	30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)	संबंधित जोन उपायुक्त जविप्रा / जोविप्रा / अति. मुख्य नगर नियो.	संबंधित जोन तहसीलदार/ डीटीपी/एटीपी जविप्रा/ जोविप्रा/ प्रकोष्ट प्रभारी	सचिव, जविप्रा / जोि वप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास	आयुक्त, जविप्रा / जोि वप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	W F
			Y. A. C.	(बीपीसी) / न्यास के प्रभारी अधिकारी	नगर सुधार न्यास	H		×
	71.		30 दिवस	संबंधित जोन	संबंधित जोन	सचिव,	आयुक्त,)
		पत्र हेतु	(पूर्ण एवं समस्त	उपायुक्त जविपा /	तहसीलदार/ डीटीपी/एटीपी	जविप्रा / जोविप्रा एवं	जविप्रा / जोविप्रा एवं	
			. दस्तावेज प्रस्तुत किये	जोविप्रा / न्यास के	जविप्रा / जोविप्रा /	सचिव, नगर सुधार न्यास	अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	
			जाने पर)	प्रभारी अधिकारी	प्रकोष्ठ प्रभारी नगर सुधार न्यास			
	72.	योजना का मानचित्र अनुमोदन	90 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)	अति. मुख्य नगर नियो. (बीपीसी) जविप्रा/ जोविप्रा/ न्यास के	संबंधित जोन तहसीलदार / डीटीपी / एटीपी जविप्रा / जोविप्रा / प्रकोष्ठ प्रभारी	सचिव, जविप्रा / जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास	आयुक्त, जविप्रा/ जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	
42		lidities t		प्रभारी अधिकारी	नगर सुधार न्यास			
	73.	भवन मानचित्र अनुमोदन	60 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये	अति. मुख्य नगर नियो. (बीपीसी) जविप्रा/ जोविप्रा जोन	संबंधित जोन तहसीलदार/ डीटीपी/एटीपी जविप्रा/ जोविप्रा/	सचिव, जविप्रा / जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास	आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	-
			जाने पर)	के संबंधित उप नगर नियोजक जविप्रा/ जोविप्रा	प्रकोष्ठ प्रभारी नगर सुधार न्यास			
		t homes	, - jilo	न्यास के प्रभारी अधिकारी	A		: 10 = 10	
	74.	सामुदायिक केन्द्र	7 दिवस	संबंधित	संबंधित जोन	सचिव,	आयुक्त,	-
		का आरक्षण	(पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)	प्रभारी अधिकारी जविप्रा / जोविप्रा न्यास के	तहसीलदार/ डीटीपी/एटीपी जविप्रा/ जोविप्रा/ प्रकोष्ट प्रभारी	जविप्रा / जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास	जविप्रा / जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	
			5001 313)	प्रभारी अधिकारी	नगर सुधार नगर सुधार			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75.	भुगतान	15 दिवस	संबंधित अधिशाषी अभियन्ता / प्रभारी अधिकारी स्टोर / वाहन / कम्प्यूटर	संबंधित लेखा शाखा प्रभारी अधिकारी जविप्रा/ जोविप्रा न्यास के प्रभारी अधिकारी	सचिव जविप्रा / जोविप्रा / सचिव नगर सुधार न्यास	आयुक्त जविप्रा / जोविप्रा / अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	
	SMES	76.	धरोहर राशि का भुगतान	30 दिवस	संबंधित अधिशाषी अभियन्ता / प्रभारी अधिकारी स्टोर / कम्प्यूटर	संबंधित लेखा शाखा प्रभारी अधिकारी जविप्रा / जोविप्रा न्यास के प्रभारी अधिकारी	सचिव जविप्रा / जोविप्रा / सचिव नगर सुधार न्यास	आयुक्त जविप्रा / जोविप्रा / अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	
14.	राजस्थान आवासन मण्डल	77.	वरीयता क्रमांक कार्ड	पंजीकरण बन्द होने की तिथि से 2 माह की अवधि में	वृत्त स्तर पर सम्पदा प्रबन्धक, स्वतंत्र खण्ड पर सहायक आवासन अधिकारी	कार्यालय अधीक्षक / लेखा कार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त . रा. आ.मं, जयपुर	-
			आरक्षण पत्र/पूर्व ग्रहण राशि मांग पत्र	कार्य प्रारम्भ होने के 2 माह की अवधि में	वृत्त स्तर पर सम्पदा प्रबन्धक, स्वतंत्र खण्ड पर सहायक आवासन अधिकारी	कार्यालय अधीक्षक / लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त रा.आ.मं, जयपुर	
		79.	आवंटन पत्र	लागत निर्धारण पश्चात् अधिकतम 3 माह में अथवा लागत पत्र में अंकित अविध में	वृत्त स्तर पर सम्पदा प्रबन्धक, स्वतंत्र खण्ड पर सहायक आवासन अधिकारी	कार्यालय अधीक्षक / लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त रा.आ.मं, जयपुर	
		80.	मकान का कब्जा पत्र	मांग पत्र की बकाया राशि जमा करवाने एवं सम्पूर्ण वांछित कागजात जमा करवाने के 1 माह की अवधि में	स्वतंत्र खण्ड पर सहायक आवासन	कार्यालय अधीक्षक / लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त रा.आ.मं, जयपुर	
		81.	मकान का कब्जा	आवासीय अभियंता के कार्यालय में रिपोर्ट करने के 15 दिवस की अवधि में	परियोजना अभियंता वरिष्ठ		आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त रा.आ.मं, जयपुर	
		82.	आवंटी / आवेदकों को रिफण्ड करना	निर्धारित भरे हुये प्रपत्रों के प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि में	वृत्त स्तर पर लेखाधिकारी / स्वतंत्र खण्ड परं सहायक लेखा– अधिकारी	सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त रा.आ.मं, जयपुर	

2	3	47 11	5	. 6	7	8	9	10
	83.	पर अदेयता प्रमाण पत्र स्थापन कामार समार कामार समार	हुये प्रपन्नो के प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में	वृत्तं स्तर पर लेखाधिकारी / स्वतंत्र खण्ड पर सहायक लेखा– अधिकारी	सहांयक लेखाधिकारी / लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त रा.आ.मं, जयपुर	
	TA IN	नीलामी बोली की स्वीकारोक्ति एवं मांग पत्र	नीलामी 2 माह की अवधि में	खण्ड स्तर पर सहायक आवासन अधिकारी	सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आयुक्त रा.	
2		एकमुश्त लीज पत्र	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 15 दिन की अवधि में		लेखाधिकारी /	उप आवासनं आयुक्तः / स्वतंत्रं खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त रा. आ.मं, जयपुर	
	86.	परस्पर / नामदर्ज / मृत्यु प्रकरण	प्राप्त होने के 1 माह	वृत्त स्तर पर सम्पदा प्रबन्धक, स्वतंत्र खण्ड पर सहायक आवासन अधिकारी		उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त रा.आ.मं, जयपुर	
93	87.	नियमितिकरण प्रकरण	प्राप्त होने के 3 माह	वृत्त स्तर पर सहायक लेखाधिकारी / स्वतंत्र खण्ड कार्यालय पर लेखाकार	कनिष्ठ लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता		HEALTH CONTRACTOR OF THE PARTY
	88.	आय वर्ग में परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में	वृत्त स्तर पर सम्पदा प्रबन्धक, स्वतंत्र खण्ड पर सहायक आवासन अधिकारी	कार्यालय अधीक्षक / लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त रा.आ.मं, जयपुर	
		बकाया / शेष राशि की जानकारी हेतु / अन्य राशि मांग	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि में	वृत्त स्तर पर सम्पदा प्रबन्धक, स्वतंत्र खण्ड पर सहायक आवासन अधिकारी	अधीक्षक / लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आयुक्त रा. आ.मं, जयपुर	
	90.	ऋण दात्री संस्थाओं को ऋण प्राप्त करने हेतु अनापित प्रमाण पत्र जारी करना		वृत्त स्तर पर सम्पदा प्रबन्धक, स्वतंत्र खंण्ड पर सहायक आवासन अधिकारी	कार्यालय अधीक्षक / लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्त रा. आ.मं, जयपुर	
ATT ATT	91.	पता परिवर्तन की सूचना	10 दिवस की अवधि में	वृत्त स्तर पर सम्पदा प्रबन्धक, स्वतंत्र खण्ड पर सहायक आवासन अधिकारी	कार्यालय अधीक्षक / लेखाकार	उप आवासन आयुक्त / स्वतंत्र खण्ड पर आवासीय अभियंता	आवासन आयुक्तः रा आ.मं, जयपुर	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		92.	अर्नेस्ट मनी रिफण्ड	30 दिवस	निविदा जारी	तकनीकी	वि.स. एवं	आवासन	
١		1.0		की अवधि में	करने वाला	सहायक	मु.लेखधिकारी	आयुक्त रा.	
1					सक्षम		राआ.मं,	आ.मं, जयपुर	
١					अधिकारी	1970 40	जयपुर		
		93.		30 दिवस	सक्षम	तकनीकी	सचिव	आवासन	
1			पंजीकरण	की अवधि में	अधिकारी	सहायक	रा.आ.मं.	आयुक्त रा.	
					(State 1)	H. A. HISTE	जयपुर	आ.मं, जयपुर	
		94.	भूमि का मुआवजा	60 दिवस	विशेषाधिकारी	L LEINIE	सचिव	आवासन	
			नगद राशि में	अवार्ड जारी	रा.आ.मं,	a los titro	रा.आ.मं,	आयुक्त	
				होने की	जयपुर		जयपुर	रा.आ.मं.	
			medians and	तिथि से				जयपुर	
		95.	विकसित भूखण्ड	90 दिवस	सम्बन्धित	सम्बन्धित	सचिव	आवासन	
				शासन से	आवासीय	परियोजना	रा.आ.मं,	आयुक्त	
			District Landing	अनुमोदन.	अभियन्ता	अभियन्ता	जयपुर	रा.आ.मं,	
1				प्राप्त होने	रा.आ.मं,	वरिष्ठ	3,73,	जयपुर	
			The state of	की तिथि से	जयपुर	रा.आ.मं, जयपुर	iii	31431	
+		96.	आवास पंजीयन	आवेदन	संबंधित उप	तकनीकी	TOTAL TOTAL	ottatitist	
		30.	आसारा संभावत	कावदन करने की	आवासन	सहायक /	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	आवासन	
1				तिथि से 30	The second secon	परियोजना	प्रबन्धक रा.आ.मं,	आयुक्त, रा.आ.मं,	
1				दिवस में	आयुक्त / आव्यसीय	अभियंता वरिष्ठ	1,1		
				144स न	अभियंता	जानजरा। पारप्ठ	जयपुर	जयपुर	
		97.	भवन निर्माण के	आवेदन	अतिरिक्त	संबंधित उप	आवासन	216.2161	
		31.	नक्शों का अनुमोदन	आवदन करने की	मुख्य नगर	आवासन		अध्यक्ष,	
			नवसा का अनुनादन	तिथि से 60	नियोजक/व		आयुक्त,	रा.आ.मं,	
				दिवस में	रिष्ठ नगर	आयुक्त	रा.आ.मं,	जयपुर	
				19981 थ	नियोजक		जयपुर		
+	स्वायत्त	98.	खाद्य के अतिरिक्त	30 कार्य	1100-1100-1200	डिलिंगक्लर्क /	महापौर /	नगर	
	शासन	90.	दिये जाने वाले	30 काय दिवस	मुख्य नगर पालिका	The state of the s	सभापति /		-
	विभाग /		लाईसेन्सों का	विवस	अधिकारी /	स्वास्थ्य		निगम / परिषद /	
	स्थानीय	-	विवरण			निरीक्षक / सफाई	अध्यक्ष / संबंधित नगर	पालका	
	निकाय		1. नगर पालिका		आयुक्त	निरीक्षक /	निकाय	मण्डल	
١	1119/19		अधिनियम के तहत			स्वास्थ्य	ाचप्राच	न ५७० संबंधित	
			बनाये जाने वाले			अधिकारी		निकाय	
			होटल, रेस्टोरेंट	100	15.01	आवपगरा		= 5.10	
			आदि के लाइसेंस	_ 10					
			हेतु आवेदन पत्र				<u> </u>		
			समस्त वांछित						
1			दस्तावेजों के साथ						
			प्राप्त होने व शुल्क	-	y 9.1				4.
			जमा होने के			and are to be			
		. "	प्रमाण के बाद			V HK	1 1		*
			प्रकरण का	yanjine, i		Les III			l.
			निस्तारण किया	Young					
			जावेगा						
			2. जारी अनुज्ञापत्र			N. 50.	3		
			का नवीनीकरण	15 कार्य	मुख्य नगर	ं डिलिंग	महापौर /	नगर	
			Talvillary I	दिवस	पालिका	क्लर्क /	सभापति /	निगम/	
			0 0 1/1 110 1		अधिकारी /	स्वास्थ्य	अध्यक्ष /	परिषद /	
			- 171		आयुक्त	निरीक्षक /	संबंधित	पालिका	
						सफाई	निकाय	मण्डल	
			III LIKE		(95)	निरीक्षक /		संबंधित	
			in the Chi			स्वास्थ्य		निकाय	
					0	अधिकारी	A	I.E.	
		99.	अग्नि शमन एवं		निगम स्तर	निगम स्तर पर	महापौर /	नगर	फायर
	-		अन्य सभी प्रकार के		पर	मुख्य	सभापति /	निगम/	अनापत्ति
			अनापत्ति प्रमाण पत्र	1. आवेदन	मुख्य	अग्निशमन	अध्यक्ष	परिवद /	प्रमाण प
	K e		जारी करना :	पत्र मय	कार्यकारी	अधिकारी /	संबंधित नगर		चाहे जा
			(अ) प्रोविजनल	सम्पूर्ण	अधिकारी /	जोन आयुक्त	निकाय	मण्डल	पर सभी
			फायर अनापत्ति	दस्तावेज	जोन आयुक्त	लेखाकार		संबंधित	वांछित
			प्रमाण पत्र जारी	के जमा हो		संबंधित लिपिक		निकाय	दस्तावेज
				जाने के		कैशियर			प्राप्त होने

1	2	3	4	5		6		7	8	3	9	- 7	10
	- 1			बाद मौका निरीक्षण 15					-160		e fienv	gari	के 30 कार्य दिवस में
				कार्य दिवस									निस्तारण
				में	नगर	परिषद	नग	ार परिषद			TE (7		आवश्यक
١		1 3	FIRST NAMED	'VE NOT P	- m		अ	ग्निशमन			inv (tt)		रूप से
		5	उद्योग ५61ए।सह		आ	युक्त		मधिकारी			liv		किया
			THE PARTY OF THE P	अनापत्ति				ग्निशमन			DIV		जावेगा।
١			The second secon	21.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			7	सेवा का					
1	8		मिकाय -	शुल्क जमा			q	रिष्ठतम					
١				होने के 7			आ	धेकारी /					
١				कार्य दिवस			, 7	कर्मचारी					
١				में			द	गर्यालय					
İ		ĺ		A MARKET				महायक					
				11 -11 11		गर		र पालिका					
				Min		लेका		ग्निशमन					
				9	अधि	शाषी		मधिकारी					
I					अधि	कारी	(3)	ग्निशमन					
1				10.10				नेवा का			(2)		- 0
				Tour			व	रिष्ठतम		7511	NIVE.		8.
ı				print.				धेकारी /		- 17			
				nim?je			c	कर्मचारी					
		-	(ब) स्थाई फायर	1. आवेदन			व	गर्यालय		WIF			
ı			अनापत्ति प्रमाण	पत्र मय			1 7 1	महायक		F	EV V		
1			पत्र	सम्पूर्ण				ा सेवा का					1
l				दस्तावेजों के				रिष्ठतम					
Ì				साथ जमा				धेकारी/					
1				होने पर				राजस्व					
1		-		मौका	WE.			रीक्षक /					
				निरीक्षण			संबंधि	वेत लिपिक					
1				15 कार्य			lls-						
				दिवस			ne.						
				2. आवश्यक									
				सूचना	D								
				उपलब्ध									
١				कराने एवं									
l				आवश्यक	1								
ı				शुल्क जमा	ed .							- 1	
			(जा) क्यांच अनुसारित	होने के 10	Y-								
l			(स) फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र का	कार्य दिवस						E as			
I			नवीनीकरण के	में									
			लिये जारी फायर	आवेदन मय	FIVE			DE STREET		- 1- 1			
			अनापत्ति प्रमाण	फायर				炒鱼牌					
l			पत्र की प्रति मय	अनापति की	6			125		17.3			
			आवेदन पत्र	प्रति जमा				Timble		(7)			
I		=	POTEN	होने के बाद									
			Actifica Actifica	व शुल्क									
1			(M/=)	जमा होने के	io I			- LANKE		print.			
				7 कार्य	B)			101 (162)		en i			a
		a		दिवस में				300				5	
-			(ਰ) ਕੈਵਾਨਿਤ		OI .			177730					
-			(द) वैघानिक अनिवार्यता	30 कार्य	10			7 909					A
			अनवायता अनापत्ति प्रमाण	दिवस	C			118116					
1			Service - Species Schmitter	- arriva		*		\$ LINE.					
			पत्र एवं अदेयता	DEPTE D	illus.			Transier,					
			प्रमाण पत्र देने की					- BREEFE					
			बाबत इस हेतु	70.00	Tre-	PRYIT		THE DESIGN			*		
			प्राप्त आवेदन पत्र	10 1				I/Pittle T					
			के साथ समस्त'	Druge		1116		5 to ruxEn					
			वांछित दस्तावेज					NEW TOWN					
			प्राप्त होने पर	Joint		-							1 · .
1			निस्तारण					The Party of					

T	2	3	.4	5	6	7	8	0	40
100	2	100		5	ь	. 7	8	9	10
		100.	भवनों के नक्शों की स्वीकृति के संबंध में :			post ne	6		
H IU				_patie_m	0	0		_	- "
in the			(अ) भवनो के नक्शों		निगम स्तर	निगम स्तर पर	महापौर/	निगम/	-
74.1			की स्वीकृति के	निस्तारण	पर	नगर नियोजक	सभापति /	परिषद /	
			संबंध में	सम्पूर्ण रूप	मुख्य	सहायक	अध्यक्ष	पालिका —	
1111		1		से सभी	कार्यकारी	अभियंता	संबंधित नगर		
. 1				वांछित	अधिकारी /	राजस्व	निकाय	निकाय	
				दस्तावेजों	आयुक्त	अधिकारी	1.197.9	Litaria	
				सहित भरा		and the same of th	100		
					(आयोजना)	कार्यालय	1.5		
				हुआ फार्म		सहायक			
				प्राप्त होने		वरिष्ठ लिपिक			
		1		पर 60 कार्य	PER VIEW	संबंधित लिपिक			
		1		दिवस में		कैशियर			
		١.,			नगर परिषद	नगर परिषद			100
				Tribble!	3 13 13	11/20/99			
			(ब) भूखण्डों का	प्रकरण का	आयुक्त	राजस्व			
			उपविभाजन एवं	निस्तारण	20340	अधिकारी	,		
				सक्षम स्तर	**	500 M O C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
			पुनर्गठन	पर स्वीकृति		कनिष्ठ			
			22020			अभियंता			
			(स) भू-उपयोग	अथवां		कार्यालय	in the	mer (a)	
			परिवर्तन	अस्वीकृति		सहायक			
			over cover 1-25 ACT (ACT)	के निर्णय के		कैशियर	F THE ST	Alleno .	
				पश्चात्		(इनमें से		W	
				शुल्क जमा	100	नांमांकित			
				होने के 15	116:				L.
				कार्य दिवस		अधिकारी)	14		
			*	में ।	नगर	नगर पालिका			
			1	10 May 10	पालिका	कनिष्ठ	1		
					अधिशाषी	अभियंता		l li	
		- 0			अधिकारी	राजस्व			
					or and a second second	निरीक्षक			
						कार्यालय			
		1				सहायक			
						वरिष्ठ लिपिक			
						(इनमें से			
						नांमांकित			
						अधिकारी)			
		101.	जन स्वास्थ्य संबंधी कार्य			स्ति दिवस	16. 15P	PEL	
			1. बरसाती नालों	1. प्रतिवर्ष	निगम स्तर	निगम स्तर पर	महापौर/	नगर	-
			की सफाई	वर्षा से पूर्व	पर	स्वास्थ्य	सभापति/	निगम/	
			(दो फुट से	किया	मुख्य	अधिकारी	अध्यक्ष	परिषद /	
			अधिक गहरे)	जावेगा।	नुख्य कार्यकारी	MANAGE	संबंधित नगर	पालिका	
			जावक गहर)	जापना।	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	THE PRO	the state of the s		
					अधिकारी /	200	निकाय	मण्डल	
				2 2	आयुक्त -	तकनीकी	x	संबंधित	
			2. गन्दी नालियों व	2. नियमित	*0	अधिकारी	2	निकाय	U n
			गलियों की सफाई	सफाई का		(अभियंता)			
				कार्य		राजस्व	2		
				प्रतिदिन		अधिकारी	1		
1				किया		कार्यालय	.00		
				जावेगा।			4 100		
				The second second second second		सहायक	mapp is		78
			*	3. सफाई के		वरिष्ट लिपिक	CONTRACTOR		
				सम्बन्ध में		संबंधित लिपिक			
			365	शिकायत			RE (F)		
				प्राप्त होने	नगर परिषद	नगर परिषद	11 7		
				पर उसका			Par H	100	
				निस्तारण 7	. आयुक्त	स्वास्थ्य	1991-7		
				कार्य दिवस		अधिकारी	1400	HEID	
				COVE IC CIVE		the thereion			
						तकनीकी	· # H	X 7	
				में। 4. नालों के		तकनाका अधिकारी (अभियंता)	- TF N	Melania I	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
			सम्बन्ध में		मुख्य सफाई			
			शिकायत		निरीक्षक			
			प्राप्त होने	1,510111	राजस्व			
			पर 15 कार्य	- 100	अधिकारी /			
			दिवस में	- IIP	निरीक्षक - निरीक्षक			
					11 Y 2 Y 3 Y 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		3. मृत पशुओं का	5. मृत		कार्यालय	1		
		निस्तारण	पशुओं का		सहायक			
			निस्तारण		(इनमें से			
			सूचना प्राप्त		नांमांकित			
			होने अथवा		अधिकारी)			
			ज्ञान होने के		Siterastray			
			1 कार्य		Index III			
			'दिवस में					
			1990	नगर	नगर पालिका			
				पालिका	तकनीकी			
				अधिशाषी	अधिकारी			
	200	4. आवारा पशुओं	6. आवारा	अधिकारी	(अभियंता)			
		को पकडना।	पशुओं को		सफाई निरीक्षक			
		100 H M 102M O M	पकड़ने के					
			सम्बन्ध में		राजस्व			
			सूचना प्राप्त		निरीक्षक			
			होने के 2		कार्यालय			
			कार्य दिवस		सहायक			
					वरिष्ठ लिपिक			
			में।		1.30(1.4.35)			
		5. कुत्तों का	7. सूचना					
		वेक्सीनेशन एवं	प्राप्त होने		Tirikiy			
		नसबन्दी	के 3 कार्य					
			दिवस में।					
	102.	अमानत/धरोहर	AL 17533 177					
		राशि (Earnest						
								1.0
		Money Security						
		Deposit) का					I FIRE	
		समय पर भुगतानः						
		असफल रहे	ा. कार्य	निगम स्तर	निगम स्तर पर	महापौर/	नगर	=======================================
		निविदादाताओं की	आदेश देने	पर	वरिष्ठतम	समापति /	निगम/	
		अमानत / धरोहर	के बाद	मुख्य	तकनीकी	अध्यक्ष	परिषद /	
		राशि लौटाना	असफल रहे	कार्यकारी	अधिकारी	संबंधित नगर		
		17/100 170/20 110	निविदा-	अधिकारी /	(अभियंता)	निकाय	मण्डल	
			दाताओं की	111111111111111111111111111111111111111	वरिष्ठतम	114714	संबंधित	9
				आयुक्त	CH V Pr 3 1 4-1		सवाधत	
			TO SOME SHARE AND ADDRESS.	~				
			अमातन		लेखाधिकारी	1.00	निकाय	
			अमातन राशि एक		लेखाधिकारी अधीक्षण			*
			अमातन राशि एक माह में लौटा		लेखाधिकारी			**
			अमातन राशि एक		लेखाधिकारी अधीक्षण	1.00		
			अमातन राशि एक माह में लौटा		लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी।		लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता			*
		end yellow	अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य	meld page of	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ			,
		ende villand male villand	अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में	politica de la composición della composición del	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ ' अभियन्ता			,
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित	malel pour et seus seus seus seus seus seus seus s	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ ' अभियन्ता संबंधित लिपिक			,
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि	politica de la composición della composición del	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ ' अभियन्ता			•
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने	नगर परिषद	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ ' अभियन्ता संबंधित लिपिक			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ ' अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता कनिष्ठ ' अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एव कोई विवाद	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनिष्ठ अभियन्ता			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं कोई विवाद नहीं होने की	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता किरायक			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनिष्ठ अभियन्ता			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में अमानता	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता किरायक			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में अमानता राशि का	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता किरायक			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में अमानता राशि का प्रकरण	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता किरायक			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में अमानता राशि का	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता किरायक			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में अमानता राशि का प्रकरण	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता किरायक			
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एव कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में अमानता राशि का प्रकरण अन्तिम रूप से एक माह	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता किरायक		निकाय	
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में अमानता राशि का प्रकरण अन्तिम रूप से एक माह में निस्तारित	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता किरायक		निकाय	
			अमातन राशि एक माह में लौटा दी जावेगी। 2. कार्य आदेश में अंकित समयावधि व्यतीत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एव कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में अमानता राशि का प्रकरण अन्तिम रूप से एक माह	नगर परिषद आयुक्त	लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता संबंधित लिपिक नगर परिषद सहायक अभियन्ता किनेष्ठ अभियन्ता किरायक		निकाय	

11

2	3	4	. 5	6	7	8	9	10
			3. धरोहर	नगर	नगर पालिका			
			राशि गारन्टी	पालिका	कनिष्ठ			
			समय	अधिशाषी	अभियन्ता			
			समाप्त होने	अधिकारी	कनिष्ठ		-	
				आध्यारा	1. 3.906 ERGE			
			के बाद		लेखाकार	in they		
			कार्य में कोई		संबंधित लिपिक	140.17		
			विवाद नही			1		
			हो, या कार्य		in month			
			की गुणवत्ता		PRINTERS			
					muse free			
			यथोचित हो,		·			
			उस स्थिति					-
			में तीन माह	*				
			(4) धरोहर					
			राशि, जिन					
			मामलों में					
				- 10	lytališ ir	10,151		
			डिफ्विटव	NIII.		4007 10		
			संविदा की	•	No field			
			जाती है.		& Tream			
			उनमें गारंटी	1	1000			
			अवधि		*			
			200 00 00 00					
			समाप्त होने		1.111	-		
			के 6 माह	la .				
			बाद अर्थात					
			एक वर्षा/		a Region			
			सत्र (जो		i Scram	11. 70		
					make a di			
		196	बाद में हो)		15 1915			
			निकलने के					
			बाद जो भी					
			अधिक हो।			-138		
	103.	जन्म प्रज्ञा गंजीपन	- 10 TO SO			711 11111111		
	103.	6.0		1.7				
		प्रमाण पत्र जारी						
		करना :				200		
		(जन्म और मृत्यु का	Julius de					
		रजिस्ट्रेशन, जन्म और			55 m			
		मृत्यु रजिस्ट्रीकरण						
		अधिनियम 1969 एवं						
		राजस्थान जन्म एवं						
		मृत्यु रजिस्ट्रीकरण						
		नियम, २००० के						
		प्रावधानों के तहत						
		किया जाना कानूनन						
		अनिवार्य है)			10-545			
		(1) जन्म अथवा	सम्पूर्ण	निगम स्तर	निगम स्तर पर	महापौर /	नगर	-
		मृत्यु का निःशुल्क	वांछित		पंजीयक	सभापति /	निगम/	
		रित्र का मिन्दिक		मुख्य		(37)		
		रजिस्ट्रेशन करने	दस्तावेज	कार्यकारी	सांख्यिकी	अध्यक्ष	परिषद /	
		के लिये घटना	प्राप्त होने	अधिकारी /	सहायक उप	संबंधित नगर	पालिका	
		की सूचना 21	पर इसका	आयुक्त	पंजीयक -	निकाय	मण्डल	
		दिवस के भीतर	निस्तारण 7	201.00	कार्यालय	as asserbati	संबंधित	
		प्रस्तुत की जाने	कार्य दिवसों		The second secon		निकाय	
					सहायक		ानकार्य	
		पर	में		वरिष्ठ लिपिक			
					संबंधित लिपिक			
			-		कैशियर			
			1.101			1		
		(0) 0: 0		नगर परिषद	नगर परिषद			
		(2) 21 दिन के बाद	सम्पूर्ण	आयुक्त	पंजीयक			
		जन्म–मृत्यु का	वांछित	×	मुख्य सफाई			
		विलम्बित	दस्तावेज		निरीक्षक			
		रजिस्ट्रेशन	प्राप्त होने			H. I		
	1				राजस्व			
	[नियमानुसार	पर इसका		निरीक्षक			
		200	निस्तारण 15	1				
		प्राक्रया पूर्ण	1.14(114.1 12	1	काराल्य	1		T.
		प्रक्रिया पूर्ण करने पर	कार्य दिवसों		कार्यालय सहायक			

2	3		ाजस्थान राज			0		365(31)
2		(3) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टी को ठीक या रद्द करना या जुडवाना, (प्रक्रिय पूर्ण करने पर)	सम्पूर्ण वांछित दस्तावेज प्राप्त होने		नगर पालिका पंजीयक स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक	8	9	. 10
	10	4. विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना	571					
		(1) दिनांक 22-05-2006 एंव इसके बाद सम्पन्न होने वाले विवाहों का पंजीयन	समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्ति के पश्चात् 7 कार्य दिवसो में	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त	निगम स्तर पर पंजीयन हेतु अधिकृत अधिकारी सांख्यिकी सहायक उप पंजीयक	महापौर / समापति / अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
		(2) दिनांक 22,05. 2006 से पूर्व सम्पन्न होने वाले विवाहों का पंजीयन	समस्त वांछित	210 VESP	कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक संबंधित लिपिक कैशियर			
				नगर परिषद आयुक्त	नगर परिषद पंजीयन हेतु अधिकृत अधिकारी कार्यालय			
				नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी	सहायक नगर पालिका पंजीयन हेतु अधिकृत अधिकारी कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक			
	10:	त्रम हस्तानतरण : सम्बन्धित आवेदक द्वारा भूमि एवं भवन के विधिक स्वामित्व सम्बन्धी समस्त दस्तावेज प्राप्त होने एवं पुरानी समस्त बकाया राशि जमा	15 कार्य दिवस में	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक संबंधित लिपिक कैशियर	महापौर / समापति / अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/ परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	-
		कराने पर प्रकरण का निस्तारण		<u>नगर परिषद</u> आयुक्त	नगर परिषद् राजस्व अधिकारी राजस्व निरीक्षक कार्यालय			
				नगर <u>पालिका</u> अधिशाषी अधिकारी	सहायक नगर पालिका राजस्व निरीक्षक कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक			

2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	106.	दस्तावेज / मानचित्र की प्रति प्राप्त करनाः दस्तावेज / मानचित्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर	प्रकरण की पूर्ण व स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रकरण का 15 कार्य दिवस में	अधिकारी / आयुक्त नगर परिषद आयुक्त	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक संबंधित लिपिक केशियर नगर परिषद राजस्व अधिकारी राजस्व निरीक्षक कार्यालय	महापौर / समापति / अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
) Terminal			नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी	सहायक नगर पालिका राजस्व निरीक्षक कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक			
	107.	लीज मुक्ति प्रमाण पत्र : आवेदन पत्र मय समस्त वांछित दस्तावेजों के जमा कराये जाने एवं समस्त देय लीज ग्राशि जमा कराने पर	7 कार्य दिवस में	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक संबंधित लिपिक कैशियर	सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	-
	E			नगर परिषद आयुक्त	नगर परिषद राजस्व अधिकारी राजस्व निरीक्षक कार्यालय सहायक			1
				नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी	नगर पालिका राजस्व निरीक्षक कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक			
2	108.	सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण : 1. सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण करवाने हेतु आवेदन पत्र मय आवश्यक राशि का चैक प्रस्तुत करने परं प्रकरण का	7 कार्य दिवस में	निगम स्तर पर पुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक संबंधित लिपिक कैशियर	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/ परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
		निस्तारण .		नगर परिषद आयुक्त	नगर परिषद राजस्व अधिकारी राजस्व निरीक्षक कार्यालय सहायक	-		

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
				नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी	नगर पालिका राजस्व निरीक्षक कार्यालय सहायक वरिष्ठ लिपिक			

राज्यपाल के आदेश से, आर.पी. जैन, प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



राजस्थान राज-पः

विशेषांक

- पञ RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 28, गुरुवार, शांके 1933—अक्टूबर 20, 2011 Asvina 28, Thursday Saka 1933—October 20, 2011

> भाग 4 (ग) उप—खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(ग्रुप-1) अधिकासना

अधिसूचना जयपुर, अक्टूबर 20, 2011

एस.ओ. 104:-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तंयों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन प्रथम अपील के निपटान के लिए नियत समय सीमा, अपील फाइल करने की तारीख से इक्कीस दिन, इसके द्वारा अधिस्चित करती है।

[संख्या एफ.13(1)प्र.सु.एवं स./ग्रुप-1/2008] राज्यपाल के आदेश से, डा. आर.पी. जैन, प्रमुख शासन सचिव।

ADMINISTRATIVE REFORMS & COORDINATION DEPARTMENT (GROUP-1)

NOTIFICATION

Jaipur, October 20, 2011

S.O. 104.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011 (Act No. 23 of 2011), the State Government hereby notifies twenty one days, from the date of filing of the appeal, as stipulated time limit for the disposal of the first appeal under the said Act.

[No.F. 13(1)AR&C/Gr.1/2008] By Order of the Governor, ਫਾ. ਆਵ. ਧੀ. ਯੈਜ.

Principal Secretary to the Government.

147

Government Central Press, Jaipur.

25.10.11



राजस्थान राज-पत्र RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

Extraordinary

Published by Authority

आश्विन २८, गुरुवार, शाके 1933-अक्टूबर २०, २०11 Asvina 28, Thursday, Saka 1933-October 20, 2011

> भाग 4 (ग) ं उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानुनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(ग्रप-1). ं अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 20, 2011

एस.ओ. 105:-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 23) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, विभागों के समस्त प्रभारी सचिवों को उनके अपने-अपने विभागों के लिए पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में इसके द्वारा नामनिर्दिष्ट करती है।

> स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "प्रभारी सचिव" से अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव या सचिव जो तत्समय संबंधित विभाग का संपूर्ण प्रभारी है अभिप्रेत है।

> > [संख्या एफ.13(1)प्र.स्.एवं स. / ग्रूप-1 / 2008] राज्यपाल के आदेश से. डा. आर.पी. जैन, प्रमुख शासन सचिव।

ADMINISTRATIVE REFORMS & COORDINATION DEPARTMENT (GROUP-1)

NOTIFICATION

Jaipur, October 20, 2011

S.O. 105.-In exercise of the powers conferred by section 8 of the Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011 (Act No. 23 of 2011), the State Government hereby nominates all the Secretaries-in-charge of the Departments, as Revising Officers for their respective Departments.

Explanation: For the purpose of this notification "Secretary-in-charge" Means the Additional Chief Secretaries, Principal Secretary or Secretary, who is for the time being overall in-charge of the Department concerned.

[No.F. 13(1)AR&C/Gr.1/2008]

By Order of the Governor,

डा. आर. पी. जैन,

Principal Secretary to the Government.

FIRST HEWEN SAME

Government Central Press, Jaipur.

THE RELEASE STATE

THE RESERVE AND PROPERTY FOR PLANT

the office that the paper have been distinct

as a magnetic of mercining

Month trains a sylvation and many

- rilge majo gratific to

company the falls

। । इसिर भागाप छन्न है

A CAMP A CARPAGE

St. More sa

PURISHED REPORTED ASSESSMENT OF THE PROPERTY O



साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 10, गंगलवार, शाके 1933 ावम्बर 1, 2011 Kartika 10, Tuesday, Saka 1933—November 1, 2011

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण रारकारी आज्ञाएं।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुगाग-1)

शुद्धि-पत्र जयपुर, अक्टूबर 31, 2011

संख्या प.13(1) प्र. सु./सम./अनु-1/2008:-राजस्थान लोक रोवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनिमय, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 की शक्तियों के तहत अधिसूचित की गई सेवाएं, सेवा की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदागिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी सूची (सारणी) की समराख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2011

थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1(ख) की क्रम संख्या 7 "उर्जा विभाग" की रोवाओं में एतद्द्वारा निम्नानुसार शुद्धियां की जाती है. अर्थात:-

क्र.सं.	विभाग	सेवा क्रमांक	की गई शु	द्धि	गोटिफिकेशन दिनांक 5 10-2011 का पृष्टांक
7.	उर्जा विभाग	44 .	(1)	अव्यवासायिक के स्थान पर व्यवासायिक पदः जाये	365 (12)
		(8)	_(II) 1 (स)	132 के.वी. से अधिक के स्थान पर 132 के.वी. व रुससे अधिक पढ़ा जाये।	h 8
			कॉलम संख्या 4 (II) 2 (ध)	132 के.वी. व एसरो अधिक पढ़ा जाये।	
			कॉलम संख्या 4 (II) 3 (ध)	132 के.वी. व एसरो अधिक पढ़ा जाये।	
	H	48	कॉलम संख्या 4 (I) (i) (अ)	कनिष्ठ पढ़ा जाये।	
			कॉलम संख्या 4 (I) (ii) (अ)	अधिशाषी पढ़ा जाये।	
4			कॉलम संख्या 4 (I) (iii) (अ)	कॉलम 9 में मुख्य के स्थान फ अधीक्षण पढ़ा जाये।	365 (17)

राज्यपाल के आदेश से, आर. पी. जैन, प्रमुख शासन सचिव।



RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 25, शुक्रवार, शाके 1933—दिसम्बर 16, 2011 Agrahayana 25, Friday, Saka 1933—December 16, 2011

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)
अधिसूचना

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 16, 2011

संख्या प. 13(1)प्र0पु0/सम0/अनु—1/2008—राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा राज्य सरकार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक भाग—1 (ख) में दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 को हुआ है, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयाविध नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील अधिकारी नियुक्त करने के लिये निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के सामने कॉलम संख्या 3 के क्रम संख्या 2 के बिन्दु संख्या "(2) तहसीलदार / नायब तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार में निर्णय" के पश्चात् निम्न नया बिन्दु संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेंगीं, अर्थात् :—

3. पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान	30	तहसीलदार / नायब तहसीलदार	पटवारी / आईएलआर	एस.डी.ओ. / सहायक आयक्त	अति०जिला कलक्टर (जिला	-
		Letter Day 15.	- 1-	उपनिवेशन	कलक्टर द्वारा मनोनीत)	
		To the second			अति० आयुक्त .उपनिवेशन	

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् तथा क्रम संख्या 4 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्न नई क्रम संख्या−3क और उसकी प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जावेंगी, अर्थात् ≔

3क	जल संसाधन विभाग एवं इन्दिरा गांधी नहर		राजकीय खाले / नहरों पर अतिक्रमण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
	विभाग	2	नक्का परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता

I TEXTA	o hi	(Properties)	एक माह में।		अभियन्ता		
e in a	3 0	दिन रात की बारी में परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
9.		ministration (Con-	करने के एक माह में।		पदस्थापित सहायक अभियन्ता		
	4	सिंचाई / भराई	प्रार्थना पत्र	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय/	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य
	17)	संबंधित प्रार्थना पत्र	प्रस्तुत करने के एक माह में।	in the state of	मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता		अभियन्ता
	5	दोषपूर्ण मोघे पठन की	प्रार्थना पत्र	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय /	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य
	ir lino	शिकायत	प्रस्तुत करने के एक		मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता		अभियन्ता
		p Mi prin	सप्ताह में।			ITES TES	
1000	6	पानी पूरा प्राप्त नहीं	प्रार्थना पत्र	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय/	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
	9	होने संबंधी शिकायत	प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में।	par e fo	मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता		जानपर्धाः
	7	पानी की बारी का हस्तान्तरण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
- 1181		X fix. 0.	करने के 15 दिवस में।		पदस्थापित सहायक अभियन्ता	Epitoria	
70	8	बून्द-बून्द सिंचाई में बागों को	प्रार्थना पत्र	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
THE S	DE L	राज्य नीति के अनुसार पानी की स्वीकृति	प्रस्तुत करने के तीन माह में।		पदस्थापित सहायक अभियन्ता		
e e	9	जल उपयोगिता संगमों को		अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
100		(i) सिंचाई शुल्क में 50 प्रतिशत राशि	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के		पदस्थापित सहायक अभियन्ता		
		का भुगतान	15 दिन में।				

		(ii) नहरों में रखरखाव के कार्यों का भुगतान	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन में।	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
	10	नहर में कटाव संबंधी शिकायतें	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे में।	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
i.	11	पानी चोरी संबंधी शिकायत	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
	12	स्वीकृत	अन्दर। प्रार्थना	अधिशाषी	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण	अतिरिक्त मुख्य
	at	कमाण्ड क्षेत्र में पानी की बारी बांधना व पर्ची जारी करना।	पत्र प्रस्तुत करने के 3 दिन के अन्दर।	अभियन्ता	कार्यालय / मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अभियन्ता े	अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
	13	राजकीय निर्देशानुसार	प्रार्थना पत्र	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय /	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
		सिंचाई की स्थायी पर्चियां जारी करना	प्रस्तुत करने के 24 घण्टे में।		मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता		
	14	नया फील्ड चैनल की स्वीकृति	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता
22	15	वाटर कोर्स के एलाईमेन्ट में परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में।	अधिशाषी अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय / मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता

राज्यपाल के आदेश से, आर.पी. जैन, प्रमुख शासन सचिव।



RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 1, बुधवार, शाके 1934—मार्च 21, 2012 Chaitra 1, Wednesday, Saka 1934—March 21, 2012

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुमाग–1)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 19, 2012

संख्या प.13(1)प्र0सु0/सम0/अनु—1/2008:—राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1) प्र.सु./सम./अनु—1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर,, 2011 समय—समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 14 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या 97 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 97ए तथा 97बी एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोडी जायेगी, अर्थात् :-

**	97 ए	धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) लौटाने के प्रकरण	धरोहर राशि देय अवधि के पश्चात् संवेदन से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की 90 दिवस की अवधि में	आवासीय अभियन्ता	लेखाकार	उप आवासन आयुक्त	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	
æ	97बी	मण्डल द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के फाईनल विल, टाईम एक्सटेंशन •एवं डेवियेशन की सक्षम स्वीकृति	कार्य पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में	आवासीय अभियन्ता	लेखाकार	उप आवासन आयुक्त	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	-

राज्यपाल के आदेश से.

डॉ. आर.पी. जैन प्रमुख शासन सचिव।

751



RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 20, गुरुवार, शाके 1934—मई 10, 2012 Vaisakha 20, Thursday, Saka 1934—May 10, 2012

भाग 1 (ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विमाग (अनुमाग—1) अधिसूचना

जयपुर, मई 09, 2012
संख्यां प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 :- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1) प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अवदुवर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनकों प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाए जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयाविध नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन फरती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या 76 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 76ए, 76बी, 76सी, 76डी, तथा 76ई एवं उनकी प्रविष्टियों जोड़ी जायेगी, अर्थात:—

76 Ų	कब्जा पत्र	15 दिवस (मौके पर विकास कार्य, डिमार्केशन एवं संपूर्ण वकाया राशि जमा होने के पश्चात)	जोविप्रा— संबंधित जोन उपायुक्त 2. नगर सुधार न्यास— संबंधित प्रभारी अधिकारी	अभियन्ता, डी.टी.पी/ए. टी.पी. 2. नगर सुधार न्यास— संवंधित तहसीलदार, सहायक अभियन्ता एवं संवंधित लिपिक		1.आयुक्त— जविप्रा/ जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	
76वी		संपूर्ण वकाया राशि जमा होने के पश्चात्)	जोविप्रा— संबंधित जोन उपायुक्त 2.नगर सुधार न्यास— संबंधित प्रभारी अधिकारी	1.जविष्रा/जोविष्रा— संबंधित जोन तहसीलदार,डी.टी.पी/ ए.टी.पी 2. नगर सुधार न्यास— संबंधित तहसीलदार/ संबंधित लिपिक	1.सचिव—जविप्रा/ जविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास	1.आयुक्त— जविप्रा / जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	
76सी	अनुमति	की पूर्ण पालना होने पर एवं सम्पुर्ण देय राशि जमा होने के पश्चात्	जोविप्रा— संबंधित जोन उपायुक्त 2.नगर सुधार न्यास— संबंधित प्रभारी अधिकारी	ए.टी.पी 2. नगर सुधार न्यास– संबंधित तहसीलदार/ संबंधित लिपिक/लेखाकर्मी	1.सचिव—जविप्रा / जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास	1.आयुक्त— जविप्रा / जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	-
	अनुमोदन (परचात् प पट्टा जारी न करना (कृषि व मूमि से दे संबंधित) व	30 दिवस 1 टाउनशिप 5 ऑलिसी के तहत स् यूनतम विकास उ कार्य एवं सेम्पुर्ण 2 त्य राशि जमा न्य जराने पर केम्प सं	. जिवप्रा/ गोविप्रा- विधित जोन पायुक्त नगर सुधार गस-	1.जविप्रा/जोविप्रा– संबंधित जोन तहसीलदार,डी.टी.पी/	1.सचिव—जविप्रा/ जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास	1.आयुक्त- जविप्रा / जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	

		3.7	राजस्थान राज	1-43, 45 10, 2012		414 1	er)
76ई ·	कच्ची बस्ती नियमन उपरान्त पट्टे जारी करना	देय राशि जमा होने के पश्चात्)	जोविप्रा- संबंधित जोन उपायुक्त 2.नगर सुधार न्यास-	1. जविप्रा / जोविप्रा – संबंधित जोन तहसीलवार,डी.टी.पी / ए.टी.पी / टी.पी.ए. 2. नगर सुधार न्यास – संबंधित तहसीलवार / शाखा प्रभारी एवं संबंधित लिपिक	सुधार न्यास	1.आयुक्त- जविप्रा/ जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	-
76VW	अनापत्ति प्रमाण पत्र	(अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् देय राशि जमा कराने एवं अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण होने के	संबंधित जोन उपायुक्त 2.नगर सुधार न्यास– संबंधित प्रभारी	संबंधित जोन तहसीलदार,डी.टी.पी/	1.सचिव—जविप्रा/ जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास	1.आयुक्त- जिविप्रा/ जीविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार न्यास	-

(ii) उक्त सारणी के अन्त में कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 व उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम 16 व उसकी प्रविष्टियां जोडी जावेगी, अर्थात् :—

अल्प संख्यक मामलात विभाग	109	पत्र	आवेदन प्राप्ति से 3 दिवस रे		जिला प्रोग्राम . अधिकारी	जिला कलक्टर	निदेशक अल्पसंख्यक नामलात विभाग	-
			पंत्र प्राप्त होने के पश्चात् संस्था की प्रथम सुनवाई तिथि से 30	अल्पसंख्यक मामलात	सहायक शासन सचिव अल्पसंख्यक नामलात विभाग	शासन उप सचिवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग	प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	•

राज्यपाल के आदेश से, आर.पी.जैन, प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



1=1

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 7, सोमवार, शाके 1934—मई 28, 2012 Jyaistha 7, Monday, Saka 1934—May 28, 2012

भाग 1 (क)

नियुक्तियां, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, मई 28, 2012

संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008:-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनयम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13 (1) प्र.सु./सम./ अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 3 क के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 को क्रमशः पुनर्सख्यांकित कर 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(7), 19(8), 19(9), 19(10), 19(11), 19(12), 19(13), 19(14), एवं 19(15) किया जावेगा एवं;
- (ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 3 क के सॉमने कॉलम संख्या 3 की क्रम संख्या 19(15) यथा पुनर्सख्यांकित, के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 19(16), 19(17), 19(18), 19(19), 19(20), 19(21), 19(22), 19(23), 19(24), 19(25), 19(26), 19(27), 19(28), 19(29), 19(30), एवं 19(31) एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेगी, अर्थात:—

19(16)	अतिरिक्त नाका प्रकरण		अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित	अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता	
	आड स्वीकृति के प्रकरण (भूमि के बंटवारे के कारण)	प्रस्तुत करने	अभियन्ता	सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता	
			अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	pacationalistatis.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता	

29(2	2)			राजर	धान	राज-पञ	, मई 28, 2012		भाग 1	(
1	19(19)	नाकेवार बारी				नी अधिशासी अभियन्ता,	/ अधीक्षण	अतिरिक्त मुख्य	1
			के स्थान पर				ा कार्यालय मुख्यालय		ा अभियन्ता /	
			खातेवार पानी				पर पदस्थापित	1	मुख्य अभियन्ता	T
	1 -		वांधना	ਸੇ ਸੇ	4411		सहायक अभियन्ता			
+	196	20)	अवैध सिंचाई				तिहाययः जानव ता	/ अधीशमा	अतिरिक्त मुख्य	1
	10(8	.0,					17 Land		अभियन्ता/	1
1			के कारण का	टा प्रस्तुत व	करन	आभयन्त	कार्यालय मुख्यालय	आमयन्त		
			पानी को वहा	(400)	देवस		पर पदस्थापित		मुख्य अभियन्ता	1
+		_	करना	में			सहायक अभियन्ता			1
1	19(2		लेवल करने व	के प्रार्थना प	1त्र	1	॥ अधिशासी अभियन्ता /			1
		- 1	पश्चात् भट्टे	प्रस्तुत व		अभियन्त	वार्यालय मुख्यालय	अभियन्त	अभियन्ता /	
ı		- 1	का पानी की	के एक	माह		पर पदस्थापित		मुख्य अभियन्ता	
			वारी वांधना	में			सहायक अभियन्ता			
	19(2	2)	1 चक को 2	प्रार्थना प	न्त्र	अधिशार्स	अधिशासी अभियन्ता/	' अधीक्षण	अतिरिक्त मुख्य	+
			चक में	प्रस्तुत क	रने		कार्यालय मुख्यालय		अभियन्ता /	
1			विभाजन	के तीन	माह		पर पदस्थापित	perture likely	मुख्य अभियन्ता	
144		- 1		में	- 23		सहायक अभियन्ता		304 01114-(11	
1	19(2	3)	दो चकों को	प्रार्थना प	র	अधिष्रार्भ	अधिशासी अभियन्ता/	अधीक्षण		L
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		एक चक में	प्रस्तुत क		1.00	कार्यालय मुख्यालय		अतिरिक्त मुख्य	3.
P	1		सम्मिलित	के तीन म	me	ગાનવના	III (73).	आभयन्ता	अभियन्ता /	
		- 1	करना	में	116		पर पदस्थापित		मुख्य अभियन्ता	
-	19(24		क चक से	100211			सहायक अभियन्ता			
l	19(22	1		प्रार्थना प	300		अधिशासी अभियन्ता/		अतिरिक्त मुख्य	-
		1.7	रूसरे चक में	प्रस्तुत क		अभियन्ता	कार्यालय मुख्यालय	अभियन्ता	अभियन्ता /	
	-		म्माण्ड क्षेत्र	के तीन म	गह		पर पदस्थापित		मुख्य अभियन्ता	
	-0		म स्थानान्तरप	1			सहायक अभियन्ता			
	19(25	201.1	ाहर के साथ	प्रार्थना प	я .	अधिशासी	अधिशासी अभियन्ता/	अधीक्षण	अतिरिक्त मुख्य	
		þ	डों के	प्रस्तुत क	रने	अभियन्ता	कार्यालय मुख्यालय		अभियन्ता /	
6		₹	गिमांकन की	के एक म	ाह		पर पदस्थापित			
		Ū	गानकारी	में			सहायक अभियन्ता		मुख्य अभियन्ता	
	19(26) 3	निकमाण्ड को	प्रार्थना पः	y :	थिषाजी	अधिशासी अभियन्ता/	0		
	10-18/2005		माण्ड से	प्रस्तुत कर	~ 1			अधाक्षण	अतिरिक्त मुख्य	
		1	वंधित प्रकरण			जानसन्ता	कार्यालय मुख्यालय	अभियन्ता	अभियन्ता /	
		\	TIME NAILA	Marcon Company	16		पर पदस्थापितः		मुख्यः अभियन्ता	
-	10/1	-		में			सहायक अभियन्ता		and the state of t	
	19(27)		क नहर	प्रार्थना पत्र			अधिशासी अभियन्ता/	अधीक्षण	अतिरिक्त मुख्य	
	1	1	गाली से	प्रस्तुत कर		अभियन्ता	कार्यालय मुख्यालय	1: 1	अभियन्ता /	
		190	प्तरी नहर	के एक मा	ह		पर पदस्थापित	A. 10.	l sell l	
-	t t:	प्रप	गाली में भूमि	में		п	सहायक अभियन्ता		मुख्य अभियन्ता	
		का	स्थानान्तरण	111.09			pressor in Edition MI			
1	9(28)		⁵ परियोजना		2	र्यक्षाच् <u>र</u> ी	अधिमानी अधि			
		U	100	प्रस्तुत कर	- 1	TO THE	अधिशासी अभि'यन्ता/	अधीक्षण	अतिरिक्त मुख्य	(e
	1.15		/***				कार्यालय मुख्यालय	अभियन्ता	अभियन्ता /	
	7.5			के एक मा	ਰ		पर पदस्थापितः		मुख्य अभियन्ता	
	ub.			में			सहायक अभियन्ता		~	
100		JOI	ानान्तरण			1		N I		

		प्रस्तुत करने	अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता	
19(30)	Commence of the commence of th			अधिशासी अभियन्ता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता	
19(31)	चक के हाइड्रोलिक डाटा	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 7 दिवस में	Contract of the second	अधिशासी अभियन्ता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता	10000000000000000000000000000000000000	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता	

राज्यपाल के आदेश से, आर.पी.जैन, प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाद 8, शुक्रवार, शाके 1934—जून 29, 2012 Asadha 8, Friday, Saka 1934—June 29, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) अधिसूचना

जयपुर, जून 27, 2012

संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु—1/2008:—राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13 (1) प्र.सु./सम./अनु—1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय—समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके सम्बन्ध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 17 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नयी क्रम संख्या 18 एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जावेगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10
18	राजस्थान		राजस्थान मूल के				July 10		1. सक्त सभी निःशुल्क /
N.	राज्य	17.0	विभिन्न श्रेणी के				754	400	रियायती यात्राऐं राजस्था
	पथ	-	व्यक्तियों को				300,00		राज्य के निवासियों को ह
	परिवहन		राजस्थान सहकार के						देय है। अतः राजस्थान राज
	निगम		निर्देश / अनुमोदन						में निवास का प्रमाण पर
	W 1		अनुसार देय		111,12012	Park to	l iét		प्रस्तुत करना आवश्यक है।
	mari I.		निःशुल्क / रियायती	PHAR	- prihisi	18 12 17 12	saffaar	P. 100	2. वांछित प्रपन्नों के साथ व
			यात्रा सुविधाओं के	1.44		li-(in	, place		पासपोर्ट साईज की फोट
			लिए परिवय पत्र			Owner	1 1-11-		प्रस्तुत किया जाना एव
			जारी करने एवं				H K		निर्धारित फीस निगम को
			उनका नवीनीकरण	8					में जमा की जानी अपेक्षि
			करने						है।
		1	(i) पत्रकार	3 दिन	कार्यकारी	सम्बन्धित	उप महा	कार्यकारी	डी.पी.आर से जारी परिच
					प्रबन्धक	ेलिपिक	प्रबन्धक	निदेशक	पत्र के आधार पर अधिकृत
			Turking par		(ডাল		(प्रशासन)	(प्रशासन)	पत्रकार को निग
		•	talk that	संलग्न	सम्पर्क)				मुख्यालय से परिचय पः
	Just	1		करने पर)					जारी किया जावेगा तथ
	10.71	ilo	kgr top Vgp						जिला जन सम्पर्क अधिकार
	E								के प्रमाणिकरण पर परिचर
	-								पत्र का नवीनीकरण व यात्र

1 2	3							
- 2	3.	4	5	6	7	8	9	10
		ria santificia						कूपन आगार स्तर से जार्र किये जाने की व्यवस्था।
		(ii) स्वतन्त्रंता	3 दिन	<u>ગુસ્થ</u>	सम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	राजस्थान सरकार र
		रौनानी	(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर	निदेशक	स्वतन्त्रता सैनानी सम्मान
			दस्तावेज				(यातायात)	पेंशन योजना के अन्तर्गत
			संलग्न	7.11			3	पेंशन प्राप्तकर्ता स्वतन्त्रत
			करने पर)					सैनानी को जारी पेंशन
								आदेश के आधार पर निगग
			nosti u	- N				से परिचय पत्र जारी किर
								जाने की व्यवस्था।
		tok-topy (iii)	3 19-1	1किं	सम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	राजस्थान सरकार र
		रीनानी की	(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर	निदेशक	स्वतन्त्रता सैनानी सम्मान
		विधवा ===	दस्तावेज					पेशन योजना के अन्तर्गत
Ì		7. 1	संलग्न					पेंशन प्राप्तकर्ता स्वतन्त्रत
			करने पर)					सैनानी की विधवा को जाई
								पेंशन आदेश के आधार प
								निगम से परिचय पत्र जाई
								किये जाने की व्यवस्था।
		(iv) युद्ध में शहीदों	3 दिन	मुख्य	सम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	शहीद सैनिक के सम्बन्ध में
		की विधवार्थे एवं	(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर	निदेशक	जिला सैनिक कल्याण
		उन पर आश्रित		100	200		(यातायात)	विभाग द्वारं। जारी पेंशन
		अवयसक सन्तानें						पत्रादि के आधार पर निगम
			करने घर)					द्वारा परिचय जारी किये
								जाने की व्यवस्था।
		(v) राज्य की	3 4.1	गुरख	सम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	विद्यालय द्वारा जारी परिचर
		अनुसूचित जाति	(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर	निदेशक	पत्र के आधार पर निग
		् एवं आदिवासी	दस्तावेज				(यातायात)	कार्यालय द्वारा शिड्यू
		क्षेत्र की कक्षा ८	संलग्न					iii /परिचय पत्र जारी कि
		तक पढ़ने वाली	करने पर)				- "	जाने की व्यवस्था।
	-	आदिवासी						
		बालिकार्ये						1107
		(vi) पद्म पुरस्कार	3 विन	कार्यकारी	सम्बन्धित	उप महा	कार्यकारी	महामहिम राष्ट्रंपति महे
		से सम्मानित	(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	प्रबन्धक	निदेशक	द्वारा जारी पद्म पुरस्कार व
		व्यक्ति	दस्तावेज	(6)+1		(मशाक्रा)	(प्रशासन)	प्रमाण पत्र के आधार प
			4144-1	सम्पर्क)				जन सम्पर्क शाखा मुख्य
			करने पर)					जयपुर में प्रस्तुत करने पर
								परिचय पत्र जारी किये जा
								की व्यवस्था।
-		(vii) નેત્રફીન/	3 दिन .	मुख्य	सम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	नेत्रहीनता/अंधता व
		अंधता	(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर	निदेशक	विशेषज्ञ चिकित्सक व
			दस्तावेज				(यातायात)	प्रमाण पत्र व आयकर दात
			संलग्न					नहीं होने का पत्र प्रस्तु
			करने पर)					करने पर निगम हा
								परिवय पत्र जारी किये जा
							=	की व्यवस्था।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 °
			(viii) विकलांग	3 दिन	मुख्य	सम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	विकलांग (अस्थि) / चलन
			(अस्थि) / चलन	(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर	निदेशक	निःशक्तता के विशेषज्ञ
			नि:शक्तता	दरतावेज				(यातायात)	विकित्सक का प्रमाण पत्र व
				रालगा					आथकर दाता नहीं होने क
				करने पर)		1			पत्र प्रस्तुत करने पर निगम
									द्वारां परिचय पत्र जारी
									किये जाने की व्यवस्था ।
			(ix) श्रवण बाधित	3 दिन	मुख्य	सम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	श्रवण बाधित निःशक्तता के
		H		(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर	निदेशक	विशेषज्ञ विकित्सक क
				दस्तावेज				(यातायात)	प्रमाण पत्र व आयकर दात
				संलग्न			×		नहीं होने का पत्र प्रस्तुत
				करने पर)		*			करने पर निगम द्वार
					1111111				परिचय पत्र जारी किये
					1-17				जाने की व्यवस्था।
		- y	(x) भागसिक	3 दिन	गुरुय	सम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	गानसिक विमन्दित/मंदता
			विमन्दित /	(सम्बन्धित	प्रवन्धक	लिपिक	मैनेजर	निदेशक	की निःशक्तता के विशेषज्ञ
			मंदता	दस्तावेज					चिकित्सक का प्रमाण पत्र
				रांलग्न					प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा
				करने पर)	100				परिचय पत्र जारी किये जाने
					No. of				की व्यवस्था।
	3		(xi) कम दृष्टि	3 दिन	मुख्य	संम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	कम दृष्टि निःशक्तता के
ľ			नि:शक्तता	(सम्बन्धित	प्रबन्धक	001 003	मैनेजर		विशेषज्ञ चिकित्सक का
			DESIGNAL	दस्तावेज		100.00 133		N. C. 1000 E.	प्रमाण पत्र व आयकर दाता
50				संलग्न				Vanaria et al	नहीं होने का पत्र प्रस्तुत
			* wife	करने पर)					करने पर निगम द्वारा
		h		Sirs I My					परिचय पत्र जारी किये
			Land Market	11.5					जाने की व्यवस्था।
			(-15) m-(3)	3 दिन	गुख्य	सम्बन्धित	<u>થ</u> ોનલ	สมร์สมร์โ	गानसिक रूग्णता के
		1-	(xii) मानसिक	्रसम्बन्धत	प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर		विशेषज्ञ विकित्सक का
			421nH41	दरतावेज	Nacadi	TCH40	*1*101%		प्रमाण पत्र व आयकर दात
			178	रालग्न				(GIGIGIGI)	गहीं होने का पत्र प्रस्तुत
				करने पर)					करने पर निगम द्वार
			to and a division	करन पर)	Lon				परिचय पत्र जारी किये जाने
				(0)					की व्यवस्था।
								A	No. of the second secon
			(xiii) कुष्ठ रोग	3 दिन	मुख्य	सम्बन्धित		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	कुष्ठ रोग मुक्त के विशेषङ
			मुक्त	(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर		विकित्सक का प्रमाण पत्र व
				दस्तावेज				(यातायात)	आयकर दाता नहीं होने क
		ď,		संलग्न					पत्र प्रस्तुत करने पर निगम
				करने पर)				2	द्वारा परिचय पत्र जारी किये
									जाने की व्यवस्था।
			(xiv) अन्तर्राष्ट्रीय	3 दिन		85 (55)	स्त्रम् महा	1000 100	खेल स्पर्धा का मूल प्रमाण
			रतर की खेल	(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	प्रबन्धक		पत्र/खेल विभाग के
			प्रतिसपर्धा गे	दस्तावेज	(01-1		(प्रशासन)	(प्रशासन)	प्रमाणिकरण के प्रपत्र जन
			राज्य के पदक	रालग्न	सम्पर्क)				सम्पर्क शाखा मुख्यालय
		İ	विजेता	करने पर)					जयपुर में प्रस्तुत करने पर

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							an L		जारी परिचय पत्र जारी किर
	A							77	जाने की व्यवस्था।
	44.7		(xv) राष्ट्रपति	3 दिन	कार्यकारी	सम्बन्धित	उप महा	कार्यकारी	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर
	- 4		पुलिस मेडल	(सम्बन्धित	प्रथ-धक	लिपिक	प्रबन्धक	निदेशक	गेलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल
			फॉर गेलेन्ट्री	दस्तावेज	(जन		(प्रशासन)	(प्रशासन)	फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड के प्रपत्र
			एवम् पुलिस	4/6414	सम्पर्क)				जन सम्पर्क शाखा मुख्यालय
			मेडल फॉर	करने पर)					जयपुर में प्रस्तुत करने पर
			गेलेन्द्री अवार्ड	- 1260			-		परिचय पत्र जारी किये जाने
		١	से सम्मानित						की व्यवस्था।
-			व्यक्ति		7.	*			
			(xvi) विद्यार्थी	3 दिन	मुख	सम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	राजकीय अथवा शिक्ष
				(सम्बन्धित	प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर		विभाग / विश्वविद्यालय रे
				दरतावेज					मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान
			in the second	संलग्न	Inthan 1				में अध्ययनरत का प्रमाण व
				करने पर)	4	1233			विद्यालय द्वारा जारी
	×		Control District						परिचय पत्र के आधार पर
			- a feature					Ton 3	निगम कार्यालय द्वार
			1.1111						शिड्यूल iii/परिचय पत्र
									जारी किये जाने की
									व्यवस्था।
			(xvii)राजस्थान	3 (2-1	गुरुस	सम्बन्धित	जोनल	कार्यकारी	राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय
			राज्य के		प्रबन्धक	लिपिक	मैनेजर		एवम् राज्य स्तर पर पुरस्कृत
			राष्ट्रीय एवग	दस्तावेज	Not seed	ICH-142	1,71014		शिक्षक का प्रमाण पत्र व
			राज्य स्तर पर						आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा
				करने पर)		- 1			राजस्थान, बीकानेर द्वारा
			3 (6)	97(1) 4()					जारी सूची में नाम अंकित
			शिक्षक						होने के आधार पर, निगम
			60 /						कार्यालय द्वारा परिचय पत्र
									जारी किये जाने की
			Property of the second				1119.		व्यवस्था।
				0 0 1	71/2-27		THE STATE OF		
			200	3 दिन (जनकार	559	Maria second III			आयु ६० वर्ष या इससे
		1	The state of the s	(सम्बन्धित		ालापक			अधिक होने के प्रमाणित
			4990 OF \$100 NW	दस्तावेज					पत्र(फोटो युक्त)प्रस्तुत करने
			534	संलग्न					पर उसके आधार पर
				करने पर)		PF 55			निगम कार्यालय द्वारा
			H Maria			-			परिचय पत्र जारी किये जाने
	ď		night I						की व्यवस्था ।

राज्यपाल के आदेश से, आर.पी. जैन, प्रमुख शासन सचिव।



RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 27, बुधवार, शाके 1938—अक्टूबर 19, 2016 Asvina 27, Wednesday, Saka 1938—October 19, 2016

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग—1)
अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2016


संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु.-1/2008 :-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की घारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु.-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्यांक 18 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम संख्यांक 19 एवं उसकी प्रविष्टियां जोडी जावेगी, अर्थात्:—

शाज्य बीमा एवं प्रावधायी	114	बीमा ऋण	10 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
निधि विमाग	115	बीमा स्वत्व	21 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संमागीय अधिकारी)	निदेशक	
	116	बीमा पॉलिसी जारी करना	प्रथम कटौती के 2 माह	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेद्यक्तक, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निवेशक/अनिरिक्त निवेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	117	जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रेकार्ड बुक का सत्यापन	7 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संमागीय अधिकारी)	निदेशक	
227	118	जीपीएफ अंतिम आहरण	15 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निवेशक	पर्यवेक्षक, जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संमागीय अधिकारी)	निदेशक	
	119	जीपीएफ स्वत्व	21 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संमागीय अधिकारी)	निर्देशक	
	120	बीमा / जीपीएफ खाता स्थानान्तरण	30 दिवस (मुख्यालय एवं संभागीय स्तर पर प्रति माह क्लीयरिंग हाउस का आयोजन कियां जाता है।)	संझयक/चप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, बीमा / पर्यवेक्षक, जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	121	अधिक जोखिम वहन करना	कटौती के दो माह में	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निवेशक	
	122	साधारण बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	123	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा	15 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संमागीय अधिकारी)	निदेशक	
, 1	124	समुह दुर्घटना बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक / उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, साधारण बीमा	विषेष्ठ अतिरिक्त निवेशक / अतिरिक्त निवेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	125	मेडिक्लेम	30 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	126	प्रान जारी करना	20 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, एनपीएस	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संमागीय अधिकारी)	निदेशक	

राज्यपाल के आदेश से, पवन कुमार गोयल प्रमुख शासन सचिव।





RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 17, मंगलवार, शाके 1939— अगस्त 8, 2017 Sravana 17, Tuesday, Saka 1939—August 8, 2017

भाग 1 (ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग—1) अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 8, 2017
संख्या प.13(3)प्र.सु./सम./अनु.-1/2011:—राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्याक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु.-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्यांक 19 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम संख्यांक 20 एवं उसकी प्रविष्टियां जोडी जावेगी, अर्थात्ः—

20.	पंजीयन एवं मुद्रांक विमाग, अजमेर	127.	दस्तावेज पंजीयन	24 घंटे	चप पंजीयक	रीडर	सप महानिरीक्षक	महानिरीक्षक	तकनीकी कारणों यथा—सर्वर ढाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं
						ē			होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विमागीय सेवा निर्घारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करायी जा सकेगी।

राज्यपाल के आदेश से, पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव।

169

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 1, सोमवार, शाके 1939— अक्टूबर 23, 2017 Kartika 1, Monday, Saka 1939—October 23, 2017

भागं 1 (ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जन अभियोग निराकरण विभाग अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 18, 2017
संख्या F13(3)प्र.सु/सम./गु-1/2011 :-राजस्थान लोक सेवाओ की प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टुबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नालिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के कम संख्या 7 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान कम संख्या 48 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई कम संख्या 48ए, तथा 48बी एवं उसकी प्रविष्टियां जोडी जायेगी, अर्थात:-

48ए	सौर जनरेटर के लिये नियमन 32 के तहत	7 दिवस	विद्युत निरीक्षक	सहायक विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ शासन उप सचिव, उर्जा विभाग	
48वी	ट्रांसफार्मर उर्जाकरण के लिये नियमन 43 के तहत	7 दिवस	विद्युत निरीक्षक	सहायक विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ शासन उप सचिव, उर्जा विभाग	

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के कम संख्या 8 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान कम संख्या 49 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई कम संख्या 49ए एवं उसकी प्रविष्टियां जोडी जायेगी, अर्थात:-

49Ų	विधिक मापविज्ञान अधिनियम २००९ एवं इसके अन्तर्गत वने नियमों के तहत, विनिर्माता / व्यवहारी / गरम्मतकर्ता का अनुज्ञापत्र तथा पैकर पंजीयन	7 दिन	निरीक्षक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	रांयुक्त नियंत्रक / अतिरिक्त नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	
-----	---	-------	--	-------------------------------------	--	----------------------------------	--

(iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के कम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान कम संख्या 76 एफ व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई कम संख्या 76 जी से 76 जे एवं उसकी प्रविष्टियां जोडी जायेगी, अर्थात:—

76 जी	भवन मानचित्र रवीकृति के सम्बन्ध में				l e	*	-
	(1) भवन मानचित्र अनुमोदन	तीस दिन	निदेशक आयोजना (विकास) प्राधिकरण	वरिष्ठ नगर नियोजक (विकास) प्राधिकरण	सविव, (विकास) प्राधिकरण	आयुक्त, (विकास) प्राधिकरण	3
	(2) भूखण्डों का उप	सक्षम स्तर	वरिष्ठ	सहायक	नगर सुधार	चैयरमेन (नगर	

-		[A	1 202 \		74			
		विभाजन एवं पुर्नगठन	पर स्वीकृती के निर्णय के पश्चात शुल्क जमा होने के 15 कार्य दिवस	अधवा नियोजक (नगर सुधार न्यास)	नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	न्यास	सुधार न्यास)	
		(3) भू—उपयोग परिवर्तन		सचिव, (विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यास)	उपायुक्त, (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास)	अति० मुख्य सचिव, (नगरीय विभाग)	मननीय मंत्री महोदय, (नगरीय विकास विभाग)	
	76 एच	राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 90 ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भू—रूपान्तरण की कार्यवाही	60 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण)/ उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण)/ (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त (विकास प्राधिकरण) / / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	000
	76 आई	लीज डीड जारी करना	30 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण)/ उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त (विकास प्राधिकरण)/ / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	
	76 जे	ले-आउट प्लान अनुमोदन पश्चात पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से सम्बन्धित)	30 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण)/ उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथदा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त (विकास प्राधिकरण)/ / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	

(iv) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान कम संख्यांक 20 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नये कम संख्यां 21, 22 व 23 उसकी प्रविष्टियां जोडी जावेगी, अर्थात:—

21.	उद्योग विभाग	128	भागीदारी फर्म पंजीयन	7 कार्य दिवस	रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स		-	3—3	अपीलीय अधिकारी का प्रावधान नही
22.	श्रम विभाग	129	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान का अधिनियम, 1958 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण	1	1	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी		संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त
		130	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970(ठेकेदार) के तहत लाईसेन्स	15	15	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	-	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त
		131	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970(प्रधान नियोंक्ता) के	30		जिलास्तरीय श्रम अधिकारी		संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त

	तहत पंजीयन	1000000		1				253 (3
132	भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1996 के तहत संस्थानों का पंजीयन	15	A*	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	-	संयुवत श्रम आयुवत	अतिरिक्त श्रम आयुवत	
133	श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के तहत पंजीयन	15		संयुक्त श्रम आयुक्त		श्रम आयुवत, राजस्था न		
134	वीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966 के तहत संस्थानो का पंजीयन एवं नवीनीकरण	10	10	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	_	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	
135	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 के तहत संस्थानो का पंजीयन एवं नवीनीकरण	15	15	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी		संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	
136	केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शतें) अधिनियम, 1979 (ठेकेदार) के तहत लाइसेन्स एवं नवीनीकरण	15	15	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी		संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	2
137	केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शतें) अधिनियम, 1979 (प्रधान नियोक्ता) के तहत पंजीयन	30		जिलास्तरीय श्रम अधिकारी		संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	

23.	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग	138	कारखाना - अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाने के रूप में किसी भवन के निर्माण/विस्तार/ अथवा उपयोग में लिये जाने हेतु स्वीकृति व नक्शे अनुमोदन	ऑनलाइन पूर्ण - आवेदन प्राप्त होने की तिथि से	मुख्यः निरीक्षक - / उप मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	·मुख्य · · निरीक्षक	-सचिव श्रम एवं नियोजन	149-श्रमिक तक नियोजित करने वाले गैर जोखिमपूर्ण कारखानों के नक्शे स्वीकृति के लिये उप
		(1)	धारा 2 एम (11) के तहत परिभाषित और नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर—खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	10 दिवस	1 4				मुख्य निरीक्षक सहायक पदाभिहित अधिकारी व शोष कारखानों के लिये मुख्य
		(2)	अन्य कारखानें	30 दिवस		٠			निरीक्षक पदाभिहित अधिकारी है।

		1	39	कारखान का	ऑनलाइन	ज-पत्र, अवटूबर	23, 2017			भाग 1 (ख
			1)	पंजियन-कारखा- अधिनियम, १९४८	ना पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की शिथि से	7			,	
				धारा 2 एम (11) के तहत परिगापित और नियम 2 (एम) के तहत परिभापित गैर—खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने		मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निशेक्षक / वरिष्ठ निशेक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
		(2		नियम 2 (एम) कें तहत परिभाषित गैर—खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	दिवस					
		(3		घारा 2 (सीवी) के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	21 दिवस				a .	
		(4	2	धारा ८७ के तहत परिभाषित खतरनाक ग्रिक्याओं वाले हारखाने	21 दिवस				/1 -	****
		(5)) र हिं 1 प व	गजस्थान प्रमुख दुर्घटना जोखिम नेयंत्रण नियम, 991 के तहत ारिभाषित प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखाने	60 दिवस					Ę
		140	न <i>व</i>	नरखाने का वीनीकरण — नरखाना धिनियम, 1948	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से		L	*		
-		(1)	के पा नि ता ग्रे फ्र	रिभाषित और ायम 2 (एम) के हत परिभाषित र—खतरनाक क्रेयाओं वाले ारखाने		मुख्य निरीक्षक/ उप मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	कारखानों के अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिये उप मुख्य निरीक्षक पदाभिहित
1		(2)	तह गैर प्रक्रि	यम 2ं (एम) के इत परिभाषित !—खतरनाक केयाओं वाले रखाने	15 दिवस					अधिकारी व अनुज्ञा पत्र में संशोधन व नवीनीकर
4 5	((3)	तह खत प्रक्रि	रा 2 (सीवी) के त परिभाषित गरनाक ज्याओं वाले रखाने	21 दिवस					के लिये मुख्य निरीक्षक पदाभिहित अधिकारी है।
		(4)	परिः खत	1 87 के तहत भाषित रनाक याओं वाले खाने	21 दिवस					91

माग 1 (ख)		रा	जरधान राज	-पत्र, अवट्बर	23, 2017			253 (5)
	(5)	राजरथान प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम, 1991 के तहत परिभाषित प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखाने	60 दिवस				B16 / A	
	141	बॉयलर का नवीनीकरण — बॉयलर अधिनियम, 1923	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से					
	(1)	स्टीम पाइप लाइन नक्शों की स्वीकृति	15 दिवस	मुख्य. निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	निरीक्षक	सचिव श्रम	
	(2)	निरीक्षण	30 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	-	मुख्य निरीक्षक	श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
	(3)	निरीक्षण (निरीक्षणों) के पूरा होने की तारीख से वायलर का पंजीकरण	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
	142	वॉयलर का पंजियन — वॉयलर अधिनियम, 1923	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से	2	9	¥).		
	(1)	निरीक्षण	15 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक/ वरिष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
	(2)	ऐसे मामलों में नवीनीकरण जिसमें सक्षम व्यक्ति को धारा 8 के तहत किसी भी संदर्भ के बिना प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है	निरीक्षण पूर्ण होने की तिथि से ४८ घण्टे	उप मुख्य निरीक्षक/ वरिष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
7	(3)	अन्य मामलों में वायलर का नवीनीकरण	15 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव अम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
	143	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों का निरीक्षण	समय सीमा		i i	17		
	(1)	राजफैब (RajFAB) में फैक्टरी निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करें	48 ਬਾਣੇ	उप मुख्य निरीक्षक / वरि ष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षव	सचिव ह श्रम एवं नियोजन	
	144	वॉयलर एक्ट, 1923 के तहत वॉयलर निर्माता, वॉयलर विनिर्माण और मरम्मत,	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि					W

0 11 0 0

		गरागतकर्ता / ईरेक्टर	स्रे					भाग <u>1</u> (ख)
		(Erector), वेल्डर और विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृति / अनुमोदन – भारतीय बॉयलर विनियमन, 1950 के नियम						
	(1)	संतोषप्रद रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर फार्म 12 में वेल्डर अर्हता प्रमाण पत्र जारी करना– 614	5 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक/ वरिष्ठ निरीक्षक	गुख्य निरीक्षक	सचिव .श्रम एवं नियोजन	येल्डर का परीक्षण करने याला सहायक पदाभिहित
	(2)	भारत से बाहर बनाये गए बॉयलरों और बॉयलर संघटकों के लिये परिकल्पना और	(1) 20 टीपीएच तक की क्षमता वाले वॉयलर	मुख्य निरीक्षक	निरीक्षक वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	·सचिव श्रम एवं नियोजन	अधिकारी
		विनिर्माण रेखाचित्र का अनुमोदन— 393(क)	संघटक व बॉयलर के लिये 5 दिवस (2) 20 टीपीएच से अधिक				2	
		e#	और 100 टीपीएच तक की क्षमता वाले वॉयलरों के लिये 15		¥	. ×	21	
		•	दियस (3) 100 टीपीएच से अधिक की क्षमता वाले बॉयलर के	v		· 1	- Tagari	
	(3)	भारत से वाहर बनाये गए वॉयलरों और बॉयलर संघटकों	दिवस (1) समान परिकल्पना दवाव और तापमान	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	(आवश्यकता होने पर भारत सरकार,
		के लियें सामग्रियों का अनुमोदन— 393 (ख) (आवश्यकता होने पर भारत सरकार, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से स्वीकृति	के लिये पूर्व अनुमोदित के समान सामग्री की दशा में 5		L			केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्)
	(4)	प्राप्त करने के पश्चात्)	दिवस (2) अन्य दशाओं में 10 दिवस			72		
Na A	W _I	भारत. से बाहर बनार बॉयलरों और बॉयल के लिये परिकल्पना विनिर्माण रेखाचित्र व अनुमोदन— 393(ख) (आवश्यकता होने पर सरकार, केन्द्रीय बॉय	तर संघटकों और जा जा स्थारत	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	(आवश्यकता होने पर भारत सरकार, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से

٠	से स्वीकृति प्राप्त क पश्चात्)	रने के		•			रवीकृति प्राप्त करने के पश्चात्)
(5)	21 दिवस सन्निर्माण/ विनिर्माण के दौरान निरीक्षण –परिशिष्ट 'जे'	2 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
(6)	विनिर्माण और परीक्षण के लिये प्रमाणपत्र का जारी किया जाना – 4(ग)(1)	(1) aĭuet viacai a etat (i) aĭuet ai eat eat (i) aĭuet ai eat eat	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
(7)	परिनिर्माण के दौरान ''प्रारूप 2ग'' में निरीक्षण प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी किया जाना — 4(ग)(1)	2 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
(8)	रजिस्ट्रीकरण निरीक्षण के प्रचात् प्रारूप–5 में अनंतिम आदेश जारी किया जाना	48 ਬਾਟੇ	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(9)	वायलर्स के लिये रजिस्ट्रीकरण संख्या नियत करना — 386(घ)	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
(10)	वॉयलर का भाप परीक्षण — 380(क)	30 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक/ वरिष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(1 1)	बॉयलर के प्रयोग के लिये फार्म — 6 में प्रमाणपत्र जारी करना — 389	48 ਬਾਟੇ	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ · निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(12)	बॉयलरों की मरम्मत / प्रत्यावर्तन करने के लिये अनुज्ञा– 392(iv)(b)	2 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
(13)	— बॉयलर और स्टीम पाइपों के मरम्मतकर्ता की मान्यता—392 (5) — बायलर, बॉयलर संघटकों, स्टीम पाइपलाइन, फिटिंग, वाल्य, आदि के निर्माताओं, ईरेक्टर (Erector) और फेब्रिकर्स का अनुमोदन एवं नवीनीकरण —	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	53.73.13

		4 (ई) बॉयलर अधिनियम, 1923	1	ज-पत्र, अक्टूबर				
	(14)	निरीक्षण पुरतक और रजिस्ट्रीकरण पुरतक के ज्ञापन का स्थानान्तरण – 388	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
 	145	प्रशिक्षण संस्थान .	ऑनलाइन					
		का अनुमोदन और राजफ़ैव वेव पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस सेवाओं के तहत	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से	.a.			je.	
	(1)	अन्य अनुमोदन कारखाना	30	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ		सचिव	
		अधिनियम, 1948 की धारा 45 (3) व राजस्थान कारखाना नियम, 1951 की आवश्यकताओं के लिए धारा 111-	दिवस ं	god Malay	निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	श्रम एवं नियोजन	
		A(ii) के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान का अनुमोदन						
	(2)	राजफ़ैब वेब पोर्टल के माध्यम	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक/	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं	कार्य ' वितरण के
>	i i	से पेपरलेस सेवाओं के तहत अन्य अनुमोदन		4	वरिष्ठ निरीक्षक . / निरीक्षक	81	नियोजन	अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी

राज्यपाल के आदेश से, पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव।



RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक ८, सोमवार, शाके 1939-अक्टूबर ३०, २०17 Kartika ८, Monday, Saka 1939- October ३०, २०17

भाग 1 (ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जन अभियोग निराकरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 30, 2017

संख्या F16(1)RPG/2017 :—राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 की अधिनियम सं0 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 प.13(1)प्र.सु./सम/अनु—1/2008 दिनांक 5 अक्टुबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :— संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 4 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 25 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 25ए एवं उसकी प्रविष्टिया जोडी जायेगी, अर्थात :--

25ए	ेटेलिकॉंग केबल, उक्ट आदि डालने के लिए राईट ऑफ वें और/अथवा सड़क काटने की अनुमति प्रदान करना।			X.		
	(1) आवेदन करने के उपरान्त राशि जमा करवाने हेतु तकनीमा देना।	10 दिवस	अधिशाषी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अति० मुख्य अभियन्ता
	(2) राशि मय बैंक गारंटी/अनुबन्ध/वन विभाग की अनापत्ति (जो भी आवश्यक हो) जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान करना।	7 दिवस	अधिशाषी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अगियन्ता	अति०, मुख्य अभियन्ता

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 7 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 44 के सामने कॉलम संख्या 4 के खण्ड (11) तथा उराके सामने कॉलम संख्या 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :--

(अ) जहां आवेदक द्वारा निगम से संबंधित राभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राइट ऑफ वे (RoW) की आवश्यकता नहीं है।	दस्तावेजों सहित	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	
(ब) जहां आवेदक द्वारा निगम से सम्बन्धित सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राइट ऑफ वे (RoW) की आवश्यकता है।	(ब) समस्त एवं संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना प्राप्ति पत्र के 15 दिवस अवधि में				G4	

(iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 11 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 65 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 65ए एवं 65वी एवं उसकी प्रविष्टिया जोडी जायेगी. अर्थात :-

	929	राजस्थान आबकारी (हॉटल बार/कलब बार अनुझित्यां प्रदाय) नियम 1973 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में होटल बार/ कलब बार लाईसेंस जारी	30 दिवस	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधे), राजस्थान, उदयपुरं			तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्युटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विमागीय सेवा निधारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई जा
--	-----	---	------------	------------------------------------	---	--	--	---

T	करना						सकेगी।
65थी	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	30 दियस	आवकारी आयुवत, राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आयकारी आयुक्त (विधि) राजस्थान, उदयपुर	-	-	तकनीकी कारणों, यथ सर्वर डाउन होने बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्युटर सिस्टम् खराब होने की स्थिति मैं विभागीय सेव निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।

(iv) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 76जे एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 76के एवं 76एल एवं उसकी प्रविष्टिया जोडी जायेगी, अर्थात :--

		भवन मानचित्र स्वीकृती के संबंध में		•	15	1, 3,2		
	76के	भवन मानचित्र अनुमोदन पश्चात प्लन्ध लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना	7 दिन	निदेशक आयोजना (विकास प्राधिकरण)/ वरिष्ठ अथवा उप नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास)	वरिष्ठ नगर नियोजक (विकारा प्राधिकरण)/ सहायक नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	सचिव (विकास प्राधिकरण)/ नगर सुधार न्यास	आयुक्त (विकास प्राधिकरण/ चैयरगेन (नगर सुधार न्यास)	3=
ž (76एल	कम्पलीशन/ ओक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट	8 दिवस (7 दिवस गौका निरीक्षण + 1 दिन कम्पलीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु)	निदेशक आयोजना (विकास प्राधिकरण)/ वरिष्ठ अथवा उप नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास)	वरिष्ठ नगर नियोजक (विकास प्राधिकरण)/ सहायक नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	सचिव (विकास प्राधिकरण)/ नगर सुधार न्यास	आयुक्त (विकास प्राधिकरण / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	_

(v) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 108 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 108ए से 108एम एवं उसकी प्रविष्टिया जोडी जायेगी, अर्थात :-

108 ए	नाम हस्तान्तरण।	०७ दिवस	निगम/परिषद/स् तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	राजस्य अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक / कैशियर (संबंधित)	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108 ਕੀ	भू-राजस्व अधिनियम की धारा-90ए के तहत् कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नि यमन/आवंटन।	60 दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पातिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी	निगम स्तर पर नगर नियोजक /सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय गिकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय

ाग 1	(편)				त्र, अक्टूबर 30, 2017		269(3
		4		(संबंधित)	प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजरव अधिकारी/किनष्ट अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर किनष्ट अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)		
	108		60दिवस	निगम/परिषद/ रत्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशापी अधिकारी (संबंधित)	्राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय
	108 ভী	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी—2010 के तहत् ले—आउट प्लान अनुमोदन।	45दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संग्रंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संग्रंधित)	. उप/सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजन सहायक/वरिष्ठ प्रारूपकार/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय
	108 불	उप–विभाजन व पुर्नगठन	30 दिवस	निगम/परिषद/ रतर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम रतर पर नगर नियोजक /सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक केशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/केशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर / समापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय

269(4)			राजर	थान राज-पन्न, उ			
			1 =		नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)		
	108 एफ	त्तीजडीड / पट्टा जारी किया जाना।	15 दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाथी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर	महापीर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय
	108 ਯੀ	भवन मानचित्र अनुमोदन (यदि आवश्यक हो तो) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (आवासीय) भूखण्ड का क्षेत्रफल 225 व. मी. तक (व्यावसायिक) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (औवासीयक)	15 दियस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / किनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर किनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व विरोधक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर / समापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित गिकाय
		भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से कम (सगस्त उपयोग)	21 दिवस	निगम/परिषद/ रतर पर आयुक्त/ उपायुक्त "(संबंधित) • पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगग/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय

					अधिकारी/किनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें रो नागांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर किनिष्ठ अभियन्ता/राजस्य निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें रो नागांकित अधिकारी)		
		भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से अधिक (सगस्त उपयोग)	30 दिवस	निगम/परिषद/ रतर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक /सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/किनष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/ वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामाकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर किपष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/ समापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय
	108 एस	ट्रेड लाईसेंस जारी किया जाना।	07 दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/ उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	डिलिंग चलर्क/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी	महापौर/ रागापति/ अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका गण्डल संबंधित निकाय
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	108 311\$	अग्निशयन अनापति प्रमाण पत्र।	07 दिवस	निगम/परिषद/ रतर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी/जोन आयुक्त लेखाकार/संबंधित लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर किनाउ अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी (क्रिन्शमन सेवा का वरिष्ठतम	महापौर / समापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय

269(6)		राजर	थान राज-पत्र,	अक्टूबर 30, 2017		भाग 1	10
108 তা	प्रमाण पत्र जारी करना। प्रिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना कम्पलीशन / ओवयूपेंसी सर्टिफिकेट	7 दिवस 8 दिवस गौका निशिक्षण + 1 दिन कम्पलीशन/ ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने	निगम/परिषद/ रतर पर आयुक्त उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशापी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजरय अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर नगर परिषद स्तर पर राजरव अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक गगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक सहायक तिरीक्षक/कार्यालय सहायक	महापौर/ सभापति/ अत्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 ਥੰਤੇ	लीज राशि जमा एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना।	हेतु) 07 दिवस	निगग/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम रत्तर पर राजस्य अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/केशियर नगर परिषद रत्तर पर राजस्य अधिकारी/राजस्य निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका रत्तर पर राजस्य निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका रत्तर पर राजस्य	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/ परिषद/ पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
108 एल	नगरीय विकास कर जमा कराना।	03 दिवस	निगम/परिषद/ स्तर पर आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशापी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/केशियर नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक नगर पालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक	गहापौर / समापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका गण्डल संबंधित निकाय	
108 एम	सीवर कनेक्शन जारी करना।		निगम / परिषद / रतर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर वरिष्ठतम् तकनीकी अधिकारी / (अभियंता) अधीक्षण अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / संबंधित लिपिक नगर परिषद स्तर पर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता / संबंधित लिपिक नगर पालिका स्तर पर राहायक अभियन्ता / संबंधित लिपिक नगर पालिका स्तर पर राहायक अभियन्ता / संबंधित लिपिक	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद /पालिका मण्डल संबंधित निकाय	

(vi) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 21 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 128 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 128ए एवं 128वी एवं उसकी प्रविष्टिया जोडी जायेगी, अर्थात :--

n							~
	128 ए	(i) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2014 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी एवं भू—रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट			2		я
		की स्वीकृति— (अ) वृहद स्तर की	पत्रावली	आयुक्त, उद्योग	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव,	मुख्य राविव
	92	मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।	पूर्ण होने से 7 दिवस की अवधि में।	महाप्रवंधक, जिला उद्योग केन्द्र		उद्योग अायुक्त, उद्योग	अतिरिक्त ्र मुख्य
		(व) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 7 दिवस की अवधि			*	सचिव / प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
		(ii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना—2014 के अन्तर्गत विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भू—कर में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति—	में।	आयुक्त, उद्योग		अतिरिक्त मुख्य राचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	मुख्य सचिव
X-		(अ) वृहद रतर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।	.पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	आयुक्त, उद्योग	अतिरिक्त
1		9			,= ,	5 1	मुख्य राचिव / प्रमुख शासन राचिव,
		. (व) सुक्ष्म, लघु एवं गध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	आयुक्त, उद्योग		अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन राचिव, उद्योग	उद्योग
		(iii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान की	2	महाप्रवंधक, जिला उद्योग केन्द्र		आयुक्त, उद्योग	मुख्य सचिव
	2	स्वीकृति (अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि गें।	आयुक्त, उद्योग	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख	अतिरिक्त मुख्य सबिव/प्रगुख शासन सचिव, उद्योग
		(a) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज (iv) राजस्थान	पत्रावली पूर्ण होने रो 75 दिवस की अवधि	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	शासन सर्विव, उद्योग आयुक्त, उद्योग	
		निवेश प्रोत्साहन	में।	- Salitate			गुख्य सिवव
		योजना-2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सैक्टर में व्याज अनुदान की स्वीकृति		आयुक्त, उद्योग / वह अधिकारी जिसे आयुक्त, उद्योग द्वारा शक्तियां प्रदत्त है।	el Opti	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	अतिरिक्त मुख्य राचिव / प्रमुख शासन सथिव, उद्योग

269(8)			राजस्थान र	ाज-पन्न, अवदृब	30, 2017		भाग 1 (स	1)
	मैन्यूफैव सभी पा एन्टरप्रा	य स्तर की वरिंग एव अ सेवा इजेज।	पञावली पूर्ण होने से ६० दिवस की अवधि में। पञावली पूर्ण होने से ६०दिवसा की अवधि में।				मुख्य सकित	
	(व) सुध मध्यम् ।	म. लघु एवं एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 30 दिवस की अवधि में।			*		
	निवेश योजना अन्तर्गत एग्री प्रे आई.टी थ्याज वितरण		पत्रावली पूर्ण होने से 30 दिवस की अविच में।	·				
	िनिवेश योजना अन्तर्गत अनुदार	राजस्थान प्रोत्साहन 1−2014 के त निवेश न एवं रोजगार अनुदान का		m.,				
	वितरण			सहायक आयुक्त/ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग	-	स्तप आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग	आयुक्त, वाधिज्यिक कर विभाग	
		भूमि आवंटन गये गटरी के	30 कार्य दिवस	सम्यन्धित इकाई प्रभारी, रीको	-	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर). रीको	प्रवन्ध निदेशक, रीको	
		ले आओ पाओ के	30 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	-	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	
	सं. प अनुस	ासंद के गार	90 कार्य दिवस	कमेटी द्वारा जिसके सदस्य है, प्रवन्ध निदेशक, रीको, प्रवन्ध निदेशक, आर.एफ.सी., आयुक्त, उद्योग एवं आयुक्त, वीप	e	अध्यक्ष, रीको	रीको के निदंशकों के मण्डल की इन्फ्रास्ट्रक्चर उवलपमेंट कमेटी	
	(2) हेतु	जल कनेक्शन	20 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	-2	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रवन्ध निदेशक, रीको	
		भवन चेत्र ोदन हेतु	15 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	_	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	
	प्रमाप करने	अधिवास ग पत्र जारी । हेतु प्रोगिक भवनों	8 कार्य दिवस	सम्बन्धित् इकाई प्रभारी, रीको	-	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको	

(vii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 23 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 24 एवं 25 एवं उसकी प्रविष्टिया जोडी जायेगी, अर्थात :--

24	सहका रिता विमाग	145	सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसाईटी का पंजीकरण करना	पूर्व पत्नादि / ऑनलाईन आवेदन करने के तीस कार्य दिवस के भीतर	र्राजेस्ट्रार, संस्थाएं, संबंधित ईकाई, सहकारिता विभाग	कार्यालय रजिस्ट्रार, संस्थाएं में पदस्थापित तकनिकी सहायक /निरीक्षक, जिसे की रजिस्ट्रार, संस्थाएं, द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया (संबधित खण्ड)	रिजस्ट्रार, सहकारी समितिया, राजस्थान जयपुर	तकनीकी कारणी यथा-सर्वर डाउन होने, विजली आपूर्ति नही होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने आदि की स्थिति में विमागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही करायी जा सकेगी।
				सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर—भीतर	संबंधित इकाई, सहकारिता विभाग	रिजिस्ट्रार, इकाई में पदस्थापित तकनीकी सहायक / निरी क्षक, जिसे कि उप रिजिस्ट्रार, इकाई द्वार। इस हेतु आदेशित किया जाए।	सहकारी समितियां, राजस्थान	सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव
		148		राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी सामितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर	अतिरिक्त रिजस्ट्रार, संबंधित खण्ड, सहकारिता विभाग	कार्यालय अतिरिक्त रिजस्ट्रार, खण्ड में पदस्थापित तकनीकी सहायक/निरी क्षक, जिसे कि अतिरिक्त रिजस्ट्रार, खण्ड द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव
	a	149		राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत शीर्ष सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर–भीतर	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	संयुक्त रिजस्ट्रार (नियम), सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर ।	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव	राजस्थ्वान राज्य सहकारी अधिकरण
25	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	150	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	जल (प्रदूषण नियारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
					क्षेत्रीय अधिकारी	2	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 कं अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
	·	151	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 कें अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	

					क्षेत्रीय अधिवनशे		जैल (प्रदूषण निवारण एवं नियांत्रण) अधिनियम १४४४ के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	4
		152	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) - अधिनियम 1981 के अन्तर्गत रथापना हेतु सम्मति	चार गाष्ठ	सवस्य समिव	पुष प्रमाश	वायु (प्रदृष्ण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनयम १९८१ के अन्तर्गत मठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	,
		3			N 30	क्षेत्रीय अधिकारी	3	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
35		153	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत संवालन हेतु सम्मति	चार गाह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	वायु (प्रदूषण नियारण एवं नियांत्रण) अधिनियम १९८१ के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	N.
			8	· ·	क्षेत्रीय अधिकारी		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
		154	परिसकंटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं पारगमन)	अन्य ष्ट न एवं	सदस्य सचिव	युप प्रभारी	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	2
		*7)	नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार		क्षेत्रीय अधिकारी		शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	

राज्यपाल के आदेश से, पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।